सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली-110 029

Design & Print : kam@kamstudio.net

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली-110 029

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
	संक्षेपाक्षर	iii
अध्याय–1	प्रस्तावना	1–3
अध्याय–2	कार्यकलाप एवं लक्ष्य	5–7
अध्याय–3	नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश	9–18
अध्याय–4	आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं	19–31
अध्याय–5	क्षमता विकास	33–36
अध्याय–6	कृत्रिम अभ्यास एवं जागरूकता सृजन	37–51
अध्याय–7	आपदा मोचन के कार्य को सुदृढ़ करना	53–54
अध्याय–8	प्रशासन एवं वित्त	55–57
	अनुबंध – I	59–60
	अनुबंध – II	61–62

संक्षेपाक्षर

ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
सी.बी.आर.एन.	रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त इमारत खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.डब्ल्यू.	पूर्व–चेतावनी
एफ.आई.सी.सी.आई. (फिक्की)	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ (फिक्की)
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
आई.एम.डी.	भारत मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतरराष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
एल.बी.एस.एन.ए.ए.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी
एम.एफ.आर.	चिकित्सा प्राथमिक सहायता कर्मी
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबल
आर.एंड.डी.	अनुसंधान एवं विकास
एस.ए.आर.	खोज एवं बचाव
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा मोचन बल
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र

अध्याय-1

प्रस्तावना

असुरक्षितता विवरण

1.1 भारत, अपनी अनोखी भू-जलवायु एवं सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और जंगल की आग जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के जोखिमों और अनेक आपदाओं से असुरक्षित रहा है। देश के 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) में से 27 आपदा प्रवण हैं, 58.6% भू-भाग साधाारण से लेकर अति उच्च तीव्रता वाला भूकम्प प्रवण क्षेत्र है: इसकी भूमि का 12% बाढ़ प्रवण और नदी कटाव वाला क्षेत्र है; इसकी कुल 7,516 कि.मी. लंबी समुद्री तटरेखा में से 5,700 कि.मी. भू-भाग चक्रवात और सुनामी प्रवण क्षेत्र है; इसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68% भाग सूखे से असुरक्षित है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम बना रहता है, इसका 15% भू-भाग भूस्खलन प्रवण है। 5,161 शहरी स्थानीय निकाय शहरी बाढ़ प्रवण हैं। आगजनी की घटनाएँ, औद्योगिक दुर्घटनाएँ और अन्य मानव-जनित आपदाएँ जिनमें रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी सामग्रियों से संबंधित आपदाएं शामिल हैं, वे अतिरिक्त खतरे हैं जिन्होंने आपदाओं के प्रशमन, उनका सामना करने की तैयारी और उन पर मोचन संबंधित उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है।

1.2 भारत में आपदाओं के जोखिम, जनांकिकीय और सामाजिक-आर्थिक अवस्थाओं में तेज गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, भू-गर्भीय संकट, महामारियों और संक्रामक रोगों से संबद्ध बढ़ती असुरक्षितताओं से और भी अधिक वृद्धि हुई हैं स्पष्टत:, इन सब बातों से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां ये आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी और अनवरत विकास के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की उत्पत्ति

1.3 किसी आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों को करने की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार भयानक प्राकृतिक विपदाओं के मामले में राज्य सरकार के प्रयासों में, उन्हें संभारतंत्र एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके, मदद करती है। संभारतंत्र सहायता में एयरक्राफ्टों, नावों, सशस्त्र बलों की विशेष टीमों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) की तैनाती, राहत सामग्रियों और अनिवार्य वस्तुओं जिनमें मेडिकल स्टोर शामिल हैं, की व्यवस्थाएं, महत्त्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं जिनमें संचार नेटवर्क शामिल है, की पुनर्बहाली और स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा अपेक्षित अन्य कोई सहायता सम्मिलित है।

1.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के तरीके की प्रणाली के राहत केंद्रित तरीके को एक समग्र एवं एकीकृत प्रबंधन तरीके द्वारा परिवर्तित किया है जिसमें आपदा

प्रबंधन के सम्पूर्ण चक्र (रोकथाम, प्रशमन तैयारी, मोचन, राहत, पुनर्वास और पुनर्बहाली) को कवर किया गया है। यह तरीका इस दृढ़ धारणा पर आधारित है कि विकास तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि आपदा प्रशमन विकास प्रक्रिया के अंदर ही शामिल न हो।

1.5 भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता का मानते हुए, अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन एवं गुजरात भूकम्प के बाद 2001 में आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने तथा कारगर प्रशमन तंत्रों का सुझाव देने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया था तथापि, हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत सरकार ने देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया तथा भारत में आपदाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित कदम उठाने और उसे कार्य रूप देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की स्थापना की।

1.6 भारत सरकार ने आपदाओं और उनसे जुड़े मामलों अथवा उनके कारण हुई दुर्घटनाओं के कारगर प्रबंधन की व्यवस्था के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम आपदाओं के दुष्प्रभावों को रोकने तथा प्रशमित करने और किसी आपदा की परिस्थिति में तुरंत मोचन हेतु सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपायों को सुनिश्चित करके, आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए सांस्थानिक प्रक्रम को निर्दिष्ट करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का गठन

1.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। तत्पश्चात्, 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया और 27 सितंबर, 2006 को इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इस प्राधिकरण को अधिसूचित किया गयां

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

1.8 एन.डी.एम.ए. का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री जो इस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, द्वारा किया जाता है तथा एक सदस्य सचिव एवं तीन अन्य सदस्य इसमें उनके सहायक हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का विस्तृत संघटन अनुबंध I में प्रस्तुत है। एन.डी.एम.ए. से संबद्ध वर्तमान सदस्य निम्नानुसार हैं :

1.	श्री आर.के. जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आई.ए.एस.) (सेवानिवृत्त)	सदस्य (30.11.2015 से)
2.	लेफ्टिनेन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) एन.सी. मरवाह, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम.	सदस्य (30.12.2014 से)
3.	डॉ. डी.एन. शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से)
4.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से)

1.9 राष्ट्रीय स्तर पर, एन.डी.एम.ए. के पास, अन्य बातों के साथ-साथ, आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करने और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम के लिए उपायों के एकीकरण अथवा आपदा के असर के प्रशमन के उद्देश्य हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। राज्यों द्वारा अपनी संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और आपदाओं को रोकने के लिए उपायों के करने अथवा इसका असर कम करने के साथ-साथ किसी आपदा से निपटने के लिए क्षमता निर्माण, जैसा राज्य जरूरी समझे, करने हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को भी एन.डी.एम.ए. निर्दिष्ट करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) सचिवालय

1.10 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संगठनात्मक संरचना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित किया गया था। सचिवालय का नेतृत्व सचिव करते हैं और उनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता है। संगठन में दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) होते हैं और उनकी सहायता के लिए सहायक स्टाफ होता है। अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी संगठन को उसके काम में सहायता देते हैं। आपदा प्रबंधन एक विशिष्ट विषय है, इसलिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता अनुबंध आधार पर उपलब्ध रहे। संगठन के काम में अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी सहायता प्रदान करते हैं। चूँकि आपदा एक विशिष्ट विषय है, इसलिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता अनुबंध आधार पर उपलब्ध रहे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संगठन की विस्तृत परिचर्चा 'प्रशासन एवं वित्त' नामक एक पृथक अध्याय में की गई है। अधिकारियों की सूची अनुबंध II में प्रस्तुत है।

अध्याय–2

कार्यकलाप एवं लक्ष्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन हेतु शीर्ष निकाय के रूप में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओं के बारे में समयबद्ध और कारगर मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने का है। इसके विधायी कार्यों में निम्नलिखित कार्य करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है:

(क) आपदा प्रबंधन के संबंध में नीतियां निर्धारित करना;

(ख) राष्ट्रीय योजना को और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गईं योजनाओं को अनुमोदित करना;

(ग) राज्य योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण के उपायों को समेकित करने तथा आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ङ) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना;

(च) आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशि (फंड्स) की व्यवस्था की सिफारिश करना;

(छ) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता सुलभ कराना जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए;

(ज) आपदा निवारण के लिए, अथवा आपदा की स्थिति की आशंका से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो एन.डी.एम.ए. आवश्यक समझे;

(झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ञ) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) पर प्रमुख अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखना;

(ट) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा में बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री की आपातकालीन अधिप्राप्ति के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकरण को प्राधिकृत करना;

(ठ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना।

2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी प्रकार की आपदाओं से, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव-जनित, निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है। जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अधिकरणों का निकटता से संलिप्त होना अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (बगावत के विरुद्ध कार्रवाई), कानून और व्यवस्था की स्थिति, क्रमिक बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान दुर्घटनाएं, रासायनिक जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) हथियार प्रणाली, खान आपदाएं, पत्तन और बंदरगाह की आपातस्थितियाँ, जंगल की आग, तेल क्षेत्र में आग और तेल बिखरने की घटनाओं से वर्तमान तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा निपटना जारी रहेगा।

2.3 तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश बनाएगा तथा प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियों को सुकर बनाएगा। प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं के लिए चिकित्सा तैयारी, मनो-सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तैयारी, जागरूकता अभियान चलाना आदि जैसे विविध विषयों पर भी संबंधित हितधारकों की भागीदारी में एन.डी.एम.ए. अपना ध्यान आकृष्ट करेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास उपलब्ध वे संसाधन, जो आपातकालीन सहायता कार्यकलाप के लिए सक्षम हैं, आसन्न आपदा/आपदाओं के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दूरदृष्टि (विजन)

2.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदेश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, से उत्पन्न दूरदृष्टि (विजन) निम्न प्रकार है :

"रोकथाम, प्रशमन, तत्परता एवं मोचन प्रेरित संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना।"

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य

2.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

(क) सभी स्तरों पर ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम, तैयारी और समुत्थानशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना।

(ख) प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।

(ग) आपदा प्रबंधन सरोकारों को विकासात्मक योजना प्रक्रिया में मुख्य स्थान प्रदान करना।

(घ) सक्षमकारी नियामक वातावरण और एक अनुपालनकारी व्यवस्था का सृजन करने के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकीय-विधिक ढांचों को स्थापित करना।

(ङ) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रत्युत्तरपूर्ण और बाधा-रहित संचार से युक्त

समकालीन पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।

(छ) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उनके अनुकूल प्रभावी मोचन और राहत सुनिश्चित करना।

(ज) अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा-समुत्थानशील इमारतें खड़ी करने को, एक अवसर के रूप में मानते हुए, पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना।

(झ) आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ एक उपयोगी और सक्रिय (प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव) सहभागिता को बढ़ावा देना।

अध्याय-3

नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी एम.) 2009

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 18 जनवरी, 2010 को जारी की गई थी। इसमें आपदाओं के तत्काल प्रबंधन के संबंध में पूर्ववर्ती कार्रवाई केंद्रित तरीके के स्थान पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन के तरीके पर बल देते हुए आपदा के समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाकर किए गए आमूलचूल परिवर्तन को दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.)

3.2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एन.ई.सी.) ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता के अंतर्गत दिनांक 21.10.2013 को आयोजित 15वीं बैठक में एन.डी. एम.पी. के मसौदे को अंतिम रूप दिया और इस मसौदे को गृह मंत्रालय के माध्यम से एन.डी.एम.ए. के अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया। हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, मसौदा एन.डी. एम.पी. को आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा (एस.एफ.डी.आर.आर.) जिसे मार्च, 2015 में सेंडाई जापान में हुए तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया था, के अनुसार पुन: तैयार और संशेधित किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.) को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 01.06.2016 को जारी किया गया। यह योजना एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट www.ndma.gov.in पर दिए गए लिंक नीति एवं योजना-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत उपलब्ध है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

3.3 उद्देश्यों को योजनाओं में रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर विभिन्न संस्थाओं (प्रशासनिक, अकादमिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) के सहयोग से अनेक पहलों (इनीशियेटिव्स) को शामिल करते हुए एक विज़न-आधारित दृष्टिकोण (विज़न-मोड अप्रोच) को अपनाया है। नीति के रूप में, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और सभी अन्य हितधारकों को दिशानिर्देश बनाने के काम में शामिल किया गया है। विनिर्दिष्ट आपदाओं और प्रसंगों (जैसे क्षमता विकास और जन जागरूकता) पर आधारित ये दिशानिर्देश योजनाओं की तैयारी के लिए आधार प्रदान करते हैं। विषय की जटिलता पर निर्भर रहते हुए, दिशानिर्देशों को बनाने में न्यूनतम 12 से 18 महीनों का समय लगता है। इस दृष्टिकोण में हितधारकों के साथ एक 'नौ-चरण' वाली सहभागितापूर्ण तथा परामर्शी प्रक्रिया शामिल है जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है।

3.4 इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :-

- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं आदि सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा अब तक किए गए कार्यों/उपायों पर आपदा-वार किए गए अध्ययनों की एक त्वरित समीक्षा।
- प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और विधिक मुद्दों से संबंधित शेष कार्यों की पहचान।

- गंतव्य कार्य योजना तैयार करना, जिसमें सुगम मॉनीटरिंग को सुकर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को उचित प्रकार से दर्शाया गया हों
- उद्देश्यों और लक्ष्यों को, अल्पावधि एवं दीर्घावधि में गंतव्य की पहचान जिनकी विधिवत् प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण, अनिवार्य और ऐच्छिक रूप में की गई हो, करके हासिल किया जाए।
- चार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों, अर्थात् क्या किया जाना है ? किस प्रकार किया जाना है ? कौन करेगा ? और कब तक किया जाना है ? के उत्तर दिए जाएं।
- एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए जो इस कार्य योजना के प्रचालनीकरण की निगरानी करे।

दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया

नौ कदम

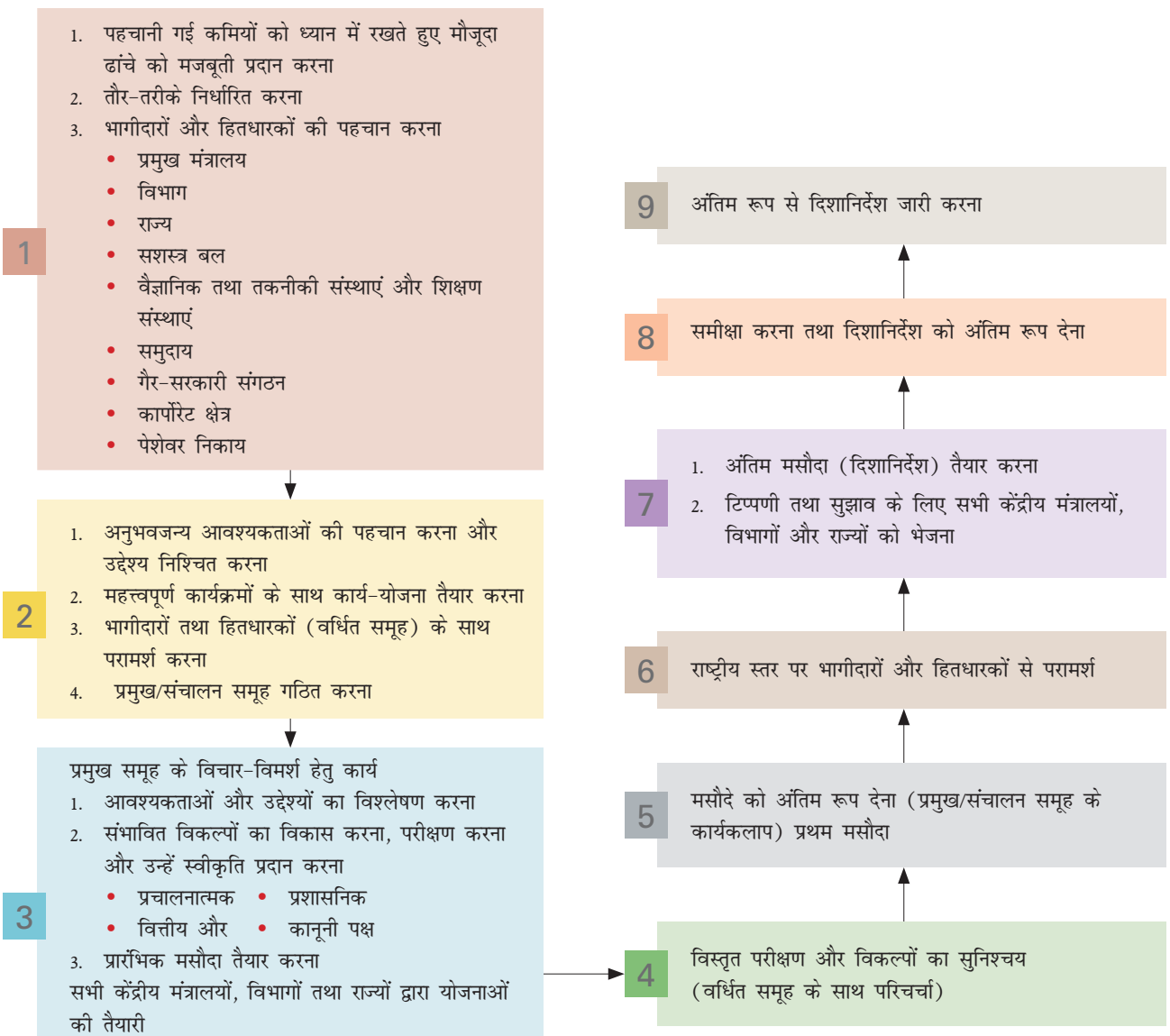

चित्र 3.1

3.5 एन.डी.एम.ए. द्वारा पिछले वर्षों के दौरान निम्नलिखित दिशानिर्देश तथा रिपोर्टें जारी की गई हैं–

एन.डी.एम.ए. द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों की सूची

क्र. सं०	विवरण
1.	भूकंप प्रबंधन
2.	रासायनिक आपदा (औद्योगिक) प्रबंधन
3.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना
4.	चिकित्सा तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन
5.	बाढ़ प्रबंधन
6.	चक्रवात प्रबंधन
7.	जैव आपदा प्रबंधन
8.	नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थिति प्रबंधन
9.	भूस्खलन एवं हिमस्खलन प्रबंधन
10.	रासायनिक (आतंकवाद) आपदा प्रबंधन
11.	आपदाओं में मनो-सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं
12.	घटना कार्रवाई प्रणाली
13.	सुनामी प्रबंधन
14.	शहरी बाढ़ प्रबंधन
15.	सूखा प्रबंधन
16.	आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिका
17.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली
18.	अग्निशमन सेवाओं का स्तर-निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण
19.	कमजोर भवनों तथा ढांचों की भूकम्पीय मरम्मत (रेट्रोफिटिंग)
20.	स्कूल सुरक्षा नीति
21.	अस्पताल सुरक्षा
22.	राहत शिविरों में आश्रय, भोजन, जल, सफाई तथा चिकित्सा कवर हेतु राहत के न्यूनतम स्तर

अन्य रिपोर्टों की सूची

क्र. सं०	विवरण
1.	नागरिक सुरक्षा संगठन का पुनर्गठन
2.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) की कार्य प्रणाली
3.	पी.ओ.एल. टैंकरों के परिवहन हेतु सुरक्षा और सावधानी उपायों का सुदृढ़ीकरण
4.	नगर जलापूर्ति और जलाशयों के संकट
5.	आपदा के कारण मारे गए लोगों के शवों का प्रबंधन कार्य
6.	आपदा के प्रति कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण प्रणाली
7.	नागरिक सुरक्षा तथा संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु पुस्तिका: भाग I एवं II
8.	भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों पर भीड़ का प्रबंधन
9.	भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों के लिए प्रबंधन योजना को तैयार करने हेतु संक्षिप्त रूपरेखा
10.	आपदा प्रबंधन पर प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों/कानूनों/विनियमों/अधिसूचनाओं का सारांश
11.	जिला आपदा प्रबंधन योजना (डी.डी.एम.पी.) की मॉडल रूपरेखा तथा डी.डी.एम.पी. को तैयार करने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां
12.	चक्रवात हुदहुद-भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में बेहतर तैयारी तथा जोखिम समुत्थानशीलता की मजबूती के लिए रणनीतियां तथा सबक
13.	प्रशिक्षण मैनुअल: आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास का संचालन कैसे करें
14.	भवनों तथा अवसंरचना के आपदा समुत्थानशील निर्माण सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश
15.	भारत में उन्नत ट्रॉमा जीवन सहायता हेतु क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक परियोजना
16.	जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों हेतु क्षमता निर्माण

वर्ष 2016-17 के दौरान जारी दिशानिर्देश तथा अन्य रिपोर्टें

3.6 "लू को रोकने तथा इसके प्रशमन के लिए कार्य योजना की तैयारी" पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश तैयार किए गए तथा उन्हें अप्रैल, 2016 में जारी किया गया।

तैयार किए जा रहे दिशानिर्देश एवं रिपोर्टें

भारत में संग्रहालयों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने हेतु दिशानिर्देश

3.7 संग्रहालयों में आपदा से निपटने के तैयारी के लिए दिशानिर्देश बनाने हेतु एक समिति का गठन 13.08.2015 को श्री कमल किशोर, सदस्य, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता में किया गया। समिति ने संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नेहरु स्मारक

संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता से प्रतिनिधि तथा संबंधित विषय के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। यह दिशानिर्देश भारत में सभी संग्रहालयों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेंगे चाहे वे केंद्र द्वारा नियंत्रित संग्रहालय हों या राज्य सरकारों के नियंत्रण वाले संग्रहालय हों अथवा गैर-सरकारी बोर्डो के अधीन या निजी लोगों और संस्थाओं के संग्रहालय हों। यह दिशानिर्देश जोखिम आकलन, जोखिम कमी उपायों, आपातकालीन मोचन उपायों और आपदा पश्चात् पुनर्बहाली हेतु योजना के माध्यम से संग्रहालयों को अपनी खुद की आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाओं तथा नीतियों को विकसित करने के लिए एक खाका (टेम्पलेट्) के रूप में कार्य करेंगे। इनका उद्देश्य एक संग्रहालय के सभी पहलुओं के समग्र प्रचालन के अंदर आपदा प्रबंधन को समावेश करने के लिए संग्रहालय व्यावसायिकों को सक्षम बनाना है।

3.8 दिनांक 07.09.2015, 04.12.2015 और 09.02.2016 को समिति की तीन बैठकों का आयोजन किया गया। संग्रहालयों के लिए आपदा जोखिम से निपटने की तैयारी की योजना पर एक कार्यशाला भी राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान तथा एन.डी.एम.ए. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई।

3.9 तीन बैठकों और कार्यशाला में हुई परिचर्चाओं के आधार पर, संग्रहालयों के लिए एक मसौदा आपदा प्रबंधन योजना को भी तैयार किया गया और उसे समिति के सभी सदस्यों को परिचालित किया गया। तत्पश्चात, दिनांक 19.01.2017 को समिति की एक बैठक आयोजित की गई। जागरूकता उत्पन्न करने और क्षमता निर्माण का अभ्यास करने के साथ-साथ मसौदा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की परीक्षा हेतु 09-10 फरवरी, 2017 के दौरान सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में भी एक कार्यशाला आयोजित की गई।

सांस्कृतिक स्थलों तथा क्षेत्रों के जोखिम प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

3.10 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों के जोखिम प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए दिनांक 03.08.2016 को श्री आर.के. जैन, सदस्य, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता और श्री कमल किशोर, सदस्य, एन.डी.एम.ए. की सह-अध्यक्षता के अंतर्गत एक प्रमुख समूह (कोर ग्रुप) का गठन किया गया। कोर ग्रुप में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली अग्निशमन सेवा, योजना तथा वास्तु-कला विद्यालय, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रतिनिधि तथा अन्य हितधारक शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों की दूरदृष्टि यह सुनिश्चित करना है कि सांस्कृतिक महत्व वाले स्थल सुरक्षित रहें और उन लोगों और उन सांस्कृतिक मूल्यों के लिए ऐसे स्थानों को सुरक्षित रखना है जिनके हेतु वे उन पर कार्य करते हैं और ऐसे स्थल सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में उनका ज्ञान बढ़ाते है और ये स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान के प्रतीक हैं।

3.11 दिनांक 08.11.2016 को कोर ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई। अन्य बातों के साथ-साथ यह फैसला किया गया कि मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए जाएं और अगली बैठक में चर्चा हेतु कोर ग्रुप से सदस्यों के सामने उन्हें रखा जाए। मसौदा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

नौका सुरक्षा पर दिशानिर्देश

3.12 गृह मंत्रालय के निर्देश पर नौका सुरक्षा पर दिशानिर्देशों को बनाने के लिए सचिव, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता में एन.डी.एम.ए. द्वारा एक प्रमुख समूह (कोर ग्रुप) गठित किया गया। प्रमुख समूह ने अपना काम शुरू करते हुए पांच कार्य

समूहों का गठन किया जो दिशानिर्देशों को बनाने में कोर ग्रुप की सहायता करेंगे। कार्य समूहों की सिफारिशों का अंतिम संस्करण प्राप्त होने के बाद, मसौदा रूप में अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई। इसे एन.डी.एम.ए. के सदस्यों के बीच परिचालित किया गया और कोर ग्रुप की बैठक में उनकी टिप्पणियों पर विचार-विमर्श किया गया। अंतिम दस्तावेज को पांच कार्य-समूहों के निकट परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य समूहों से प्राप्त टिप्पणियों को भी संशोधित संस्करण में शामिल किया जा रहा है। यह दिशानिर्देश प्रतिपादन के अंतिम चरणों में है।

भारत के शहरों में शहरी बाढ़ की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य योजना

3.13 भारत के शहरों में शहरी बाढ़ की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य योजना बनाने हेतु सभी हितधारकों से प्रतिनिधियों के साथ श्री कमल किशोर, सदस्य, एन.डी.एम.ए. के अध्यक्षता के अंतर्गत 17 मार्च, 2016 को एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। विशेषज्ञ समूह को निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करने का अधिदेश दिया गया है:

- जल निकास (ड्रेनेज) संबंधित विषय
- ठोस अपशिष्ट (सॉलिड वेस्ट) प्रबंधन
- शहरी योजना
- शहरी बाढ़ पूर्व-चेतावनी प्रणालियां-तत्काल संपर्क (रियल टाइम कम्युनिकेशन)
- जलवायु परिवर्तन और शहरी बाढ़ संबंधित विषय

3.14 विशेषज्ञ समूह निम्नलिखित तीन समयावधियों के लिए कार्य योजना सुझाएगा/बनाएगा:

- लघु अवधि-2020-चार वर्ष।
- मध्य अवधि-2025-दस वर्ष।
- दीर्घ अवधि-2030-पन्द्रह वर्ष।

3.15 विशेषज्ञ समूह की चार बैठकों का क्रमश: दिनांक 12.04.2016, 13.05.2016, 06.06.2016 और 13.02.2017 को आयोजन किया गया।

3.16 विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनी दूसरी बैठक में शहरी बाढ़ प्रशमन पर दिए गए सुझावों के आधार पर, शहरी बाढ़ से निपटने की तैयारी तथा उसके प्रशमन पर तुरंत ध्यान देने के लिए एक दस-सूत्री सलाह-सूची (अडवाइजरी) को मई, 2016 में सभी बाढ़ प्रवण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित किया गया। इस अडवाइजरी का आशय संबंधित विभागों तथा एजेंसियों को बाढ़ की वजह से उभरती हुई चुनौतियों का समाधाान ढूंढने के लिए तुरंत तैयारी तथा मोचन उपायों की योजना बनाने से था।

3.17 विशेषज्ञ समूहों की आयोजित बैठकों में हुई चर्चाओं के आधार पर, शहरी विकास मंत्रालय ने शहरी बाढ़ पर एक मसौदा मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) बनाया है।

भूकंप और चक्रवात सुरक्षा के लिए गृह स्वामी (होम ओनर्स) गाइड

3.18 भूकंप और चक्रवात सुरक्षा के लिए एक सचित्र गृह स्वामी (होम ओनर्स) गाइड बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), जोधपुर के साथ दिनांक 11.08.2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे लोगों को भूकंप तथा चक्रवात-रोधी मकानों/फ्लैटों/बिल्डिंगों को बनाने/बेचने में मदद मिलेगी। इस गाइड को दोनो पहलुओं अर्थात संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक सुरक्षा, के लिए विकसित किया जाएगा और आसानी और सुगमता से समझने के लिए यह स्वभावत: सेमी-ग्राफिकल होगी। यह गाइड अलग-अलग रूपों अर्थात बुकलेट, ऑनलाइन संस्करण, ऑडियो-वीडियो सी.डी./डी.वी.डी. में होगी। इस गाइड पर काम को पूरा किया जाएगा और इसे जनता के लिए 2017-18 में उपलब्ध कराया जाएगा।

'समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन' और 'आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका' पर दिशानिर्देश

3.19 एन.डी.एम.ए. ने 'समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन' और 'आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका' पर भी दिशानिर्देशों का मसौदा बनाया है। इन दिशानिर्देशों को आम जनता तथा हितधारकों से सुझावों/प्रतिक्रियाओं/फीडबैक को आमन्त्रित करने के लिए एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

राज-मिस्त्री प्रमाणन (मेसन्स सर्टिफिकेशन) कार्यक्रम

3.20 राज-मिस्त्रियों के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य राज-मिस्त्रियों को भूकंप-रोधी मकान तैयार करने का हुनर प्रदान करना था। प्रशिक्षण मॉडयूल तथा पाठ्यक्रम को तैयार करने का काम यू.एन.एन.ए.टी.आई. (उन्नति) के साथ भागीदारी से किया जा रहा है।

प्राकृतिक एवं मानव-जनित खतरों के असर को कम करने के लिए कार्यकलापों का कलेंडर

3.21 भारत को लगभग सभी तरह के प्राकृतिक एवं मानव-जनित विपदाओं से खतरा रहता है। भूकंप के सिवाय अधिकांश प्राकृतिक खतरे और भूकंप के कारण हुए भूस्खलन विशेष मौसम में घटित (सीजनल) होते हैं। कारगर तैयारी से इन खतरों के असर को कम करने और इनको विकट आपदाओं में बदलने से रोकने में मदद मिलती है। इसको ध्यान में रखते हुए हर तरह की आपदाओं के लिए आपदा तैयारी मैट्रिक्स के साथ एक कार्यकलाप कलेंडर तैयार किया गया है ताकि सभी हितधारकों द्वारा आपदा से पहले ही आवश्यक प्रशमक उपाय किए जा सकते हैं। इस कलेंडर को सभी मंत्रालयों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास भेजा गया।

शीत लहर के लिए क्या करें और क्या न करें संबंधित प्रस्तावित सलाह-सूची (अडवाइजरी)

3.22 जनवरी, 2017 में भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, शीत लहर के असर से प्रभावित होने वाले संभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शीत लहर के लिए क्या करें और क्या न करें संबंधित प्रस्तावित सलाह-सूची (अडवाइजरी) को भेजा गया। उनको लोगों में शीत लहर संबंधित प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक प्रशमन उपाय करने तथा जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए व्यापक स्तर पर जानकारी, संचार तथा शिक्षा संबंधी कार्य करने की सलाह दी गई है। उनको प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के अलावा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। अडवाइजरी को एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

आपदा प्रबंधन में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन हेतु एक मॉडल तैयार करने के लिए कार्य समूह

3.23 फरवरी, 2017 में श्री आर.के. जैन, सदस्य, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता तथा एन.डी.एम.ए. के अन्य सदस्यों की सह अध्यक्षता के साथ-साथ अन्य हितधारकों को समूह के सदस्यों के रूप में शामिल करके एक कार्य समूह का गठन किया गया है। कार्य समूह भारतीय संदर्भ हेतु उचित मॉडल तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र तथा अन्य देशों द्वारा उपयोग किए जा रहे अनेक लॉजिस्टिक तथा सप्लाई चेन मॉडलों का अध्ययन करेगा ताकि इसे आपदा के दौरान मानवीय सहायता के लिए उपयोग में लाया जा सके। कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन दिनांक 08.03.2017 को किया गया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण समाहित विकलांगता पर एन.डी.एम.ए. दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए कोर समिति

3.24 दिव्यांग व्यक्तियों हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण समाहित विकलांगता पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशानिर्देश तैयार करने के लिए फरवरी, 2017 में अन्य हितधारकों को समिति के सदस्यों के रूप में लेकर श्री आर.के. जैन, सदस्य, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता में एक कोर समिति का गठन किया गया। यह दिशानिर्देश संबंधित प्राधिकरणों को दिव्यांग लोगों के प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं से होने वाले खतरों को कम करने में मदद करेंगे। समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, दिव्यांग लोगों हेतु आपदा जोखिम प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत तथा दिव्यांग लोगों को प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं से होने वाले आपदा जोखिमों के आकलन के लिए एक कार्य प्रणाली का सुझाव देगी। समिति की पहली बैठक 15.03.2017 को आयोजित की गई।

एन.डी.एम.ए. द्वारा संचालित अध्ययन

3.25 इसके अलावा, एन.डी.एम.ए. ने 'भारत का संभाव्यवादी भूकम्पीय खतरा मानचित्र का विकास', 'ब्रह्मपुत्र नदी कटाव और इसके नियंत्रण पर अध्ययन', 'भारत में शहरी केंद्रों के भूकंपीय माइक्रोजोनेशन के भू-तकनीकी/भू-भौतिकीय अन्वेषण पर तकनीकी दस्तावेज पर रिपोर्ट' तथा 'भारत में भवन टाइपोलॉजी के भूकंपीय असुरक्षितता विश्लेषण' पर अध्ययनों का संचालन किया है। ये सभी अध्ययन रिपोर्टें एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (लिंक तकनीकी दस्तावेज के अंतर्गत www.ndma.gov.in)।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एस.डी.एम.पी.) का प्रतिपादन

3.26 दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एस.डी.एम.पी.) तैयार करने की प्रास्थिति निम्नानुसार है:

- 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी एस.डी.एम.पी. तैयार कर ली है और एन.डी.एम.ए. के साथ उसे साझा किया है।
- तेलंगाना राज्य एस.डी.एम.पी. तैयार करने हेतु प्रक्रियारत है।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजना

3.27 आपदा प्रबंधन योजनाओं (डी.एम.पी.) की तैयारी में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सहायता के लिए, एन.डी.एम.ए. ने 'आपदा प्रबंधन योजना हेतु प्रस्तावित संरचना-भारत सरकार में विभाग/मंत्रालय' का प्रतिपादन किया और उसे सभी संबंधितों को परिचालित किया। यह योजना लिंक-नीति और योजना-केंद्रीय मंत्रालय/विभाग आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट www.ndma.gov.in पर उपलब्ध है।

3.28 आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37 के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के मामले को उनके साथ बैठकों और पत्रों के माध्यम से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

3.29 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, (i) पशु पालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, (ii) रेलवे मंत्रालय, (iii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, (iv) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, (v) विद्युत मंत्रालय, (vi) इस्पात, (vii) खान मंत्रालय, (viii) भारी उद्योग विभाग, (ix) स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, (x) नागर विमानन मंत्रालय, (xi) परमाणु ऊर्जा विभाग, (xii) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (xiii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, (xiv) आयुष विभाग तथा (xv) न्याय विभाग ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना प्रस्तुत कर दी है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एस.डी.एम.ए.) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डी.डी.एम.ए.) को सुदृढ़ करने के लिए स्कीम

3.30 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 36 एस.डी.एम.ए. तथा 256 डी.डी.एम.ए. के लिए वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 42.50 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 21.26 करोड़ रुपए तथा 2016-17 के लिए 21.24 करोड़ रुपए) की लागत से 'राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एस.डी.एम.ए.) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डी.डी.एम.ए.) को सुदृढ़ करना' के काम से संबंधित केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्वित कर रहा है।

3.31 यह स्कीम निम्न प्रकार से एस.डी.एम.ए. तथा डी.डी.एम.ए. को वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

क. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस.डी.एम.ए.)

(i) आपदा प्रबंधन के लिए 50,000 रुपए प्रति माह की दर से दो-तिहाई मानव संसाधन (एच.आर.) व्यावसायिकों (पेशेवरों) की सेवाएं किराए पर लेना।

(ii) 4.00 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष की दर से विज्ञापन, उपस्कर, घरेलू यात्रा तथा आकस्मिकता व्यय के लिए प्रशासनिक लागत।

ख. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी.डी.एम.ए.)

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में चुने गए डी.डी.एम.ए. में से प्रत्येक के लिए 40,000/- रुपए प्रति माह की दर से एक मानव संसाधन (एच.आर.) व्यावसायिक की सेवाएं किराए पर लेना।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में चुने गए डी.डी.एम.ए. में से प्रत्येक के लिए 2.00 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष की दर से विज्ञापन, उपस्कर, घरेलू यात्रा तथा आकस्मिकता व्यय के लिए प्रशासनिक लागत।

3.32 दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, 27 राज्यों तथा 6 संघ राज्य क्षेत्रों ने स्कीम के अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जारी की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की गई, उनकी संख्या	जारी की गई कुल राशि
2015-16	29 (25 राज्य और 4 संघ राज्य क्षेत्र)	1044.40 लाख रुपए
2016-17	10 (6 राज्य और 4 संघ राज्य क्षेत्र)	475.66321 लाख रुपए
	योग	1520.06321 लाख रुपए

सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके लू के जोखिम में कमी के लिए कार्य योजना की तैयारी पर राष्ट्रीय कार्यशाला

3.33 वर्ष 2014 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) ने "लू के जोखिम में कमी के लिए कार्य योजना की तैयारी पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश" बनाए तथा जारी किए। तेलंगाना सरकार के साथ सहयोग से प्राधिकरण ने हैदराबाद में 20-23 फरवरी, 2017 को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके लू के जोखिम में कमी के लिए कार्य योजना की तैयारी पर एक दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया। कार्यशाला का संपूर्ण लक्ष्य राज्यों को लू पर कार्रवाई योजनाओं को अपने संबंधित राज्य में प्रचालित करने के लिए मार्गदर्शन देना था। एन.डी.एम.ए. के सदस्य (यों) की अध्यक्षता में पाँच

तकनीकी सत्रों का कार्यशाला के दौरान आयोजन किया गया:

(क) लू के जोखिम में कमी लाने के लिए कार्य योजना

(ख) लू प्रभावित राज्यों के अनुभव साझा करना तथा प्रशमन उपायों का क्रियान्वयन

(ग) पूर्व चेतावनी तथा लू का पूर्वानुमान

(घ) लू से निपटने के लिए वर्धित समुत्थानशीलता तथा मॉनिटरिंग हेतु कारगर नियंत्रण (गवर्नेंस) उपकरण

(ड.) लू हेतु कार्रवाई योजना की समीक्षा तथा अद्यतन कार्य

भारत में पिछले अनेक सालों में लू के बढ़ते रूझान को देखते हुए, यह कार्य योजनाएं लू संबंधी बीमारी में एक अंतरदृष्टि तथा किए जाने वाले आवश्यक प्रशमक तथा मोचन कार्रवाईयों की व्यवस्था करेंगी।

आपदा-पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रय-केंद्रों पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति

3.34 आपदा-पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रय-केंद्रों पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को बनाने के लिए दिनांक 15.03.2017 को श्री आर.के. जैन, सदस्य, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

अध्याय–4

आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (चरण I)

4.1 जनवरी, 2011 से प्रारंभ 1,496.71 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) चरण I कार्यान्वयन के अंतर्गत है जो एक केंद्रीय सहायता–प्राप्त स्कीम है और जिसका निधिपोषण एक अनुकूलनीय कार्यक्रम ऋण के रूप में विश्व बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। एन.डी.एम.ए. में बनाई गई परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) इसकी नोडल अभिकरण है जिसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य भागीदार हैं। इस परियोजना के मुख्य लक्ष्यों में चक्रवात पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणालियों (ई.डब्ल्यू.डी.एस.) को अपग्रेड करना, चक्रवात जोखिम प्रशमन आधारढांचा जैसे बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केन्द्र, आवासों तक संपर्क सड़कों/पुलों को बनाना शामिल हैं ताकि प्रभावित आबादी के जोखिम और असुरक्षितताओं को कम किया जा सके, साथ ही इस उद्देश्य में लवणीय प्रवेश और समुद्री जल में बाढ़ आने से तटीय क्षेत्रों और कृषि भूमियों की सुरक्षा के लिए लवणीय तटबंधों (सेलाइन इम्बैंकमेन्ट्स) का निर्माण और बहु–विपदा जोखिम प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण करना भी शामिल है। इस परियोजना को दिनांक 31.03.2018 तक पूरा किया जाना है।

परियोजना संघटक

4.2 नीचे दी गई सारणी के अनुसार इस परियोजना के चार घटक हैं :

घटक	परियोजना विवरण	परिव्यय (करोड़ रुपए)
क	पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू.डी.एस.)	72.75
ख	चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना का निर्माण यथा; – बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र (एम.पी.सी.एस.); – सुरक्षित निकास हेतु सड़कें; – पुल; तथा – लवणीय तटबंध (सेलाइन इम्बैंकमेंट्स);	1164.00
ग	चक्रवात संकट जोखिम प्रशमन, क्षमता निर्माण और ज्ञान सृजन हेतु तकनीकी सहायता।	29.10
घ	परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता।	95.06
	अनावंटित आकस्मिकता निधियां	135.80
	योग	**1496.71**

कार्यान्वयन प्रास्थिति

घटक क

4.3 भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम मैसर्स टेलिकम्युनिकेशन कंसल्टेन्ट्स इंडिया लि. (टी. सी.आई.एल.) जो आपदा पूर्व/दौरान/पश्चात् अवधि में सर्वत्र संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए 2.52 करोड़ रुपए की लागत पर 24 महीनों की अवधि के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू. डी.एस.) को विकसित करने हेतु प्रौद्योगिकियों का प्रस्ताव करने वाला ज्ञान भागीदार है। आंध्र प्रदेश ने 82 करोड़ रुपए की एक लागत पर मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो को ई.डब्ल्यू.डी.एस. के लिए ठेका दिया है और सितंबर, 2017 तक इसका संस्थापन कार्य (इंस्टॉलेशन) पूरा किए जाने की उम्मीद है। ओडिशा ने भी 66 करोड़ रुपए की एक लागत पर मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो को ठेका दिया है और जुलाई, 2017 तक इसका संस्थापन कार्य पूरा किए जाने की उम्मीद है।

घटक ख

4.4 आंध्र प्रदेश: इस घटक में चक्रवात जोखिम प्रशमन हेतु अवसंरचना जैसे बहु-उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय-केन्द्र (एम.पी.सी.एस.), आश्रय-केंद्रों और आवासों, पुलों और लवणीय तटबंधों तक संपर्क सड़कों को बनाना शामिल है। कुल 138 एम.पी.सी.एस. में से, 122 एम.पी.सी.एस. का काम पूरा हो गया है: 584 किलोमीटर की सड़कों में से, 581 किलोमीटर की सड़कों का काम पूरा हो गया है। 23 पुलों में से, 21 पुलों का कार्य पूरा हो गया है और शेष पुलों का कार्य/29.9 किलोमीटर लवणीय तटबंधों का कार्य प्रगति पर है।

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-I के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में बनाई गई सड़कों/पुल (एसेट्स) आदि के चित्र

पूर्वी गोदावरी जिला में एम.पी.सी.एस.

विशाखापट्टनम जिला में निर्मित संपर्क सड़क

पूर्वी गोदावरी जिला में निर्मित पुल

कोना लवणीय तटबंध, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश

4.5 **ओडिशाः** कुल 154 एम.पी.सी.एस. में से 153 एम.पी.सी.एस. के निर्माण का काम पूरा हो गया है। कुल 218 किलोमीटर की सड़कों में से, 211 किलोमीटर की सड़कों का काम पूरा हो गया है और 57.77 किलोमीटर लवणीय तटबंधों का काम पूरा कर लिया गया है।

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-I के अंतर्गत ओडिशा में बनाई गई सड़कों/पुल आदि (एसेट्स) के चित्र

एम.पी.सी.एस.

संपर्क सी.सी. सड़क

संपर्क बी.टी. सड़क

लवणीय तटबंध

घटक ग

4.6 तटीय खतरा, जोखिम एवं असुरक्षितता विश्लेषण अध्ययन का काम ज्ञान भागीदार मैसर्स आर.एम. एस.आई. प्राइवेट लि० द्वारा किया गया है। सभी 13 डिलीवरेबल्स का काम पूरा कर लिया गया है। वेब-आधारित कंपोजिट रिस्क एटलस (सी. आर.ए.) को तैयार कर लिया गया है और इसे सभी समुद्र-तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है और यह एटलस ऑनलाइन उपलब्ध है।

4.7 भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु दीर्घावधिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यनीति के लिए अध्ययन का जो काम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) द्वारा मैसर्स सीड्स तकनीकी सेवाओं को सौंपा गया था, वह पूरा हो गया है। एन.आई.डी.एम. ने एन.डी.एम.ए. को प्रचालनात्मक योजना बनाकर प्रस्तुत की है जिसके अंतर्गत एन.आई. डी.एम. प्रारंभ में पांच 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' (टी. ओ.टी.) पाठ्यक्रमों का सभी राज्यों के लिए आयोजन किया। इसके बाद राज्यों में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

4.8 आपदा पश्चात् आवश्यकता विश्लेषण (पी.डी. एन.ए.) पर एक अध्ययन का काम किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के अनुकूल मानकीकृत पी.डी.एन.ए. उपकरणों को तैयार करना और देश में पी.डी.एन.ए. की पूरी प्रणाली का पुनर्गठन करना था। एन.आई.डी.एम. भारत के अनुकूल पी.डी.एन.ए. उपकरण तथा एक वेब पोर्टल को भी तय (फाइनल) करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

वित्तीय प्रबंधन

4.9 परियोजना के अंतर्गत 1326 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, जिसमें से दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 1266 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई।

4.10 भारत सरकार ने 835 करोड़ रुपए की लागत के साथ जुलाई, 2015 में चरण-I आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण का अनुमोदन किया ताकि अक्टूबर, 2013 में चक्रवात पैलिन का प्रबंधन करते समय नोटिस में आई अब संरचना की खामियों को दूर किया जा सके। एन.सी.आर.एम. पी. के चरण-I का संशोधित परिव्यय (अतिरिक्त वित्तपोषण सहित) अब दिनांक 31.03.2018 की समाप्ति तक 2331.71 करोड़ रुपए हो गया है।

भौतिक प्रगति एवं उपलब्धियां

4.11 **आंध्र प्रदेश:** घटक ख में चक्रवात जोखिम प्रशमन हेतु अपेक्षित अवसंरचना जैसे बहु-उद्देश्यीय

आश्रय-केंद्र, सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य शामिल है। आंध्र प्रदेश के सभी 84 एम.पी.सी.एस. का काम चल रहा है। कुल 119.79 किलोमीटर की सड़कों में से, 105.34 किलोमीटर की सड़क पूरी हो गई है और 12 पुलों में से 10 पुलों का काम चल रहा है और 02 पुलों का काम पूरा हो गया है।

4.12 **ओडिशा:** 162 एम.पी.सी.एस. में से 89 का काम पूरा हो गया है और 170 किलोमीटर की सड़कों में से 138 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हो गया है। शेष निर्माण-कार्यों का काम चल रहा है।

4.13 अतिरिक्त वित्तपोषण के अंतर्गत 577 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, जिसमें से दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 406 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-II:

4.14 भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में मार्च, 2020 तक पाँच वर्षों के लिए एन.सी.आर.एम.पी. का चरण-II भी अनुमोदित कर दिया है। एन.सी.आर. एम.पी. के चरण-II का परिव्यय 2361.25 करोड़ रुपए है जिसमें गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल को कवर किया गया है। विश्व बैंक से सहायता की राशि 1881.10 करोड़ रुपए है। शेष 480.15 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों की सरकारों द्वारा किया जा रहा है। अंडरग्राउन्ड केबल बिछाने के काम का उप-घटक एन.सी.आर.एम.पी. चरण-II के अंतर्गत शामिल किया गया है। (घटक-ख के अंतर्गत)

भौतिक प्रगति एवं उपलब्धियां

क्र. सं०	घटक	गुजरात			पश्चिम बंगाल		
		बनाए जाने वाले आश्रय-केंद्र/ सड़क	कितनों का काम सौंपा गया (अवार्डिड)	कार्य पूर्ण	बनाए जाने वाले आश्रय-केंद्र/ सड़क	कितनों का काम सौंपा गया (अवार्डिड)	कार्य पूर्ण
1.	चक्रवात आश्रय-केंद्र (संख्या)	128	30	–	150	139	–
2.	सड़क (कि.मी.)	170	100	70	–	–	–

4.15 गोवा, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र स्थल, पर्यावरण निकासी (क्लियरेंस), डी.पी.आर. आदि तय करने की प्रक्रिया में लगे हैं।

4.16 619 करोड़ रुपए की एक राशि गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल को जारी की गई थी जिसमें से 397 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

प्रशमन प्रभाग, एन.डी.एम.ए. द्वारा उठाए गए कदम (इनिशिएटिव्स)

4.17 प्रशमन प्रभाग ने विविध विषयों पर प्रायोगिक परियोजनाओं और अध्ययनों का काम हाथ में लिया है जिनमें प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों के माध्यम से बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, चिकित्सा तैयारी, रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय आपदाओं आदि समेत प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के विभिन्न पहलुओं को कवर किया जाता है। एन.डी.एम.ए. द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न परियोजनाएं/कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

उन्नत भूकंप खतरा मानचित्रों को तैयार करने का काम

4.18 एन.डी.एम.ए. ने भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवधर्न परिषद् (बी.एम.टी.पी.सी.) के माध्यम से देश के लिए उप-जिला बाउंडरी सहित जिला स्तर तक नाम, अतीत में आए हुए भूकंप, उनके क्षेत्र, पांच तथा उससे अधिक शक्ति वाले भूकंपों का ऊपरी केंद्र, वृहद् भ्रंश तथा जल निकायों सहित राज्य/जिला बाउंडरी को दर्शाने वाले विवरणों के साथ, उन्नत भूकंप खतरा मानचित्रों को तैयार किया है। इस परियोजना का काम भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धान परिषद् (बी.एम.टी.पी.सी.) द्वारा एन.डी.एम.ए. तथा विभिन्न संस्थाओं/संगठनों से मिली जानकारियों (इनपुट्स) से किया जा रहा है। यह परियोजना देश/राज्यों/जिलों/उप-मंडलों के लिए 76.83 लाख रुपए की लागत पर उन्नत भूकंप खतरा मानचित्रों को तैयार करने से संबंधित है और अप्रैल, 2016 में पूर्ण हो गई है। विशेष विवरणों सहित मानचित्रों तथा एटलसों की छपाई का काम पूरा हो गया है।

मानचित्रों तथा एटलसों का उपयोग:

- भूमि उपयोग जोनिंग और बेहतर आवास योजना।
- नेताओं तथा नीति निर्माताओं, इंजीनियरों, आर्किटेक्टों, आपदा प्रबंधन व्यावसायिकों आदि के लिए उपयोगी।
- आपदा प्रबंधन से जुड़ी सार्वजनिक एवं वित्तीय नीतियों का प्रतिपादन तथा आपातकालीन योजना।
- प्रौद्योगिकीय-विधिक ढांचा स्थापित करने के लिए एक सहायता।
- बीमा एजेंसियों के लिए उपयोगी।
- उप-जिला स्तर पर, ये प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) हेतु सभी के लिए शहरी आवास मिशन के अंतर्गत स्मार्ट शहर परियोजनाएं तथा विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में उपयोगी होंगे आदि।
- संबंधित प्राधिकरण आगामी योजना बनाने, एकीकृत प्रशमन नीतियों का प्रतिपादन करने जिनमें जागरूकता, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, निवारक तथा तैयारी के उपाय, चेतावनी प्रणालियों में सुधार का काम कवर किया गया हो, में प्राथमिकता पर कार्रवाई किए जाने वाले जिलों की पहचान कर सकते हैं।

4.19 जुलाई, 2016 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को मानचित्र तथा एटलसें वितरित की गई और यह निर्देश दिया गया कि उन्हें अपने विवेकानुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंदर अधीनस्थ कार्यालयों में आगे वितरित किया जाए।

4.20 परियोजना के परिणाम एन.डी.एम.ए., एन.आई.डी.एम., भूकंप प्रशमन पर कार्यरत समितियों, आर्किटेक्टों और इंजीनियरों, बीमा एजेंसियों, भूमि उपयोग योजना और बहु-राज्यीय भूकंप आपदा तैयारी तथा आपातकालीन योजना तथा प्रबंधन से जुड़ी सार्वजनिक तथा वित्तीय नीतियों के विभिन्न पहलुओं में अंतर्ग्रस्त लोगों के लिए उपयोगी होंगे।

एम 8.7 शिलांग 1897 भूकंप परिदृश्य: पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहु-राज्यीय तैयारी अभियान

4.21 एन.डी.एम.ए. द्वारा सी.एस.आई.आर.-पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आई.एस.टी.), जोरहाट

और अन्य संस्थानों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र की संवेदनशीलता के आकलन के लिए एम 8.7 शिलांग 1897 भूकंप परिदृश्य तैयार करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है। इस परियोजना को बहु-राज्य स्तर पर आठ राज्यों में जागरूकता उत्पन्न करने, हितधारकों के सुग्राहीकरण, आर.वी. एस. प्रशिक्षण, आठ राज्यों में क्षमता निर्माण के लिए चलाया गया।

4.22 15 नवंबर, 2013 को सी.एस.आई.आर.-पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आई.एस.टी.), को 620.36 लाख रुपए की एक लागत पर परियोजना का कार्य सौंपा गया। परियोजना में 05 बड़े कार्यकलाप (i) परिदृश्य विकास, (ii) वृहत् कृत्रिम अभ्यास, (iii) स्कूली बच्चों का सुग्राहीकरण, (iv) जागरूकता सृजन तथा (v) आर.वी.एस. प्रशिक्षण शामिल है, जिन्हें सिक्किम सहित आठ पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित करना है। परियोजना के सभी कार्यकलापों को पूरा कर लिया गया है और एन.डी.एम.ए. को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। एन.डी.एम.ए. ने रिपोर्ट की जांच कर ली है और इसे स्वीकृत कर दिया है

4.23 परियोजना के असर के आकलन के स्वतंत्र मूल्यांकन का काम आई.आई.पी.ए. को 6 लाख रुपए की एक लागत पर सौंपा गया। आई.आई.पी.ए. ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और एन.डी.एम.ए. द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। अपनी रिपोर्ट में, आई.आई.पी.ए. ने उल्लेख किया है कि यह परियोजना सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च क्षमता वाले किसी भूकंप के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने में अत्यधिक लाभदायक है। जान-माल की हानि को राज्यों की प्रासंगिक आपदा प्रबंधन योजनाओं में इस परियोजना में विकसित जानकारी को शामिल करके न्यूनतम किया जा सकता है। सभी बड़े हितधारक समूह, नेता तथा नीति निर्माता, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट, आपदा प्रबंधन व्यावसायिक तथा बड़े पैमाने पर लोग परियोजना के दौरान प्राप्त जानकारी से लाभान्वित होंगे।

केरल के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों और निम्न पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा पाइपिंग पर अनुसंधान परियोजना

4.24 मृदा पाइपिंग केरल के पर्वतीय (पहाड़ी) इलाकों में हाल में देखी गई एक घटना है। यह एक उप-सतह वाली मृदा अपरदन प्रक्रिया है जो खतरनाक है क्योंकि यह मृदा के नीचे घटित होती है। इस परियोजना का उद्देश्य इस घटना का अध्यन करना और प्रशमन उपायों का सुझाव देना।

4.25 इस परियोजना को एन.डी.एम.ए. से आंशिक वित्तीय सहायता के साथ पृथ्वी विज्ञान एवं अध्ययन केंद्र (सी.ई.एस.एस.), तिरुवनंतपुरम तथा राजस्व विभाग, केरल सरकार के माध्यम से क्रियान्वित करना है। परियोजना अपने विस्तारित समय पर 30 मई, 2016 को पूर्ण हो गई। फाइनल रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार हो गए हैं।

4.26 अध्ययन से पता चला है कि बदलने योग्य सोडियम के जिबसाइट वाली काइलोनाइट मिट्टी मृदा अपरदन कर मुख्य लक्ष्य है। मृदा पाइपिंग को नियंत्रित अथवा कम करने के लिए रासायनिक सुधार तथा जल प्रबंधन बेहतरीन विकल्प होते है। अध्ययन में सिफारिश की गई है कि मृदा पाइपिंग को केरल में एक राज्य विशिष्ट खतरे के रूप में घोषित किया गया है। इस अध्ययन के भारत में मृदा पाइपिंग घटना की गंभीरता के आकलन के काम में दीर्घावधिक सकारात्मक निहितार्थ भी है। देश में इसकी स्थिति का आकलन करने के लिए देश के अन्य भागों में भी एक ऐसा अध्ययन कराया जा सकता है। वे प्रशमन उपाय जिन्हें एक प्रायोगिक आधार पर मृदा पाइपिंग अध्ययन में अपनाया गया, निम्नानुसार है:

- मृदा पाइपिंग नियंत्रण के लिए रासायनिक सुधार तथा निर्जलीकरण को उचित तरीका माना गया है।
- मृदा की फैलने वाली प्रकृति (डिस्पर्सिव नेचर) को निष्प्रभावी करने के लिए लाइम

(चूना) तथा जिप्सम का अनुप्रयोग मृदा पाइपिंग की प्रक्रिया को धीमे करने का एक अच्छा तरीका है।

- तुरंत परिणाम प्राप्त करने के लिए, निर्जलीकरण तकनीकों को अपनाना बेहतर है जैसे बहाव की दिशा बदलने के लिए सब सर्फेस बैरियरों का निर्माण, सतह के बहाव की दिशा बदलने तथा घुसपैठ को रोकने के लिए सतह नालियों (सर्फेस ड्रेन्स) का निर्माण, प्रभावित ढलान (स्लोप) में सभी पानी सोखने वाली सुविधाओं (वाटर इनटेक फीचर्स) को बंद (सील) करें।

बहु-उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय केंद्रों (एम.पी.सी.एस.) का निर्माण

4.27 चक्रवात आश्रय केंद्र मुख्यत: लोगों को, कभी-कभी पशुओं को भी चक्रवात के दौरान आश्रय प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। तथपि, आश्रय केंद्र का पूरे साल के दौरान एक बहु-उद्देश्यीय सुविधा के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि इसकी इमारत को गैर-चक्रवात अवधियों के दौरान इस्तेमाल न होने के कारण खराब होने से बचाया जा सके। इसलिए, इसके डिजाइन को तैयार करते समय इसके अनेक प्रयोजनों जैसे स्कूल, राशन की दुकान, सामुदायिक केंद्र, अध्यापन केंद्र, अस्थायी गोदाम अथवा एक जन सुविधा भवन के रूप में होने वाले इसके उपयोग को ध्यान में रखा जाता है। यह सुनिश्चित करना होता है कि यह हर समय अच्छी हालत में हो और फलस्वरूप यह किसी चक्रवात अथवा अन्य कार्यकलापों के लिए उपलब्ध रहे। यह अपने रख-रखाव के लिए आय भी उत्पन्न करता है।

पश्चिम बंगाल में चक्रवात आश्रय केंद्रों का निर्माण

4.28 पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में 138.65 करोड़ रुपए की एक अनुमानित लागत से कुल 50 चक्रवात आश्रय-केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। एन.डी.एम.ए. ने 35 बहु-उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय-केंद्रों के निर्माण हेतु मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटिड, नई दिल्ली और 15 बहु-उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय-केंद्रों के निर्माण हेतु मैसर्स हिंदुस्तान स्टील वर्क्स लिमिटिड, कोलकाता के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मैसर्स हिंदुस्तान स्टील वर्क्स लिमिटिड, कोलकाता ने सभी चक्रवात आश्रय-केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा कर दिया है और इन्हें दक्षिणी 24 परगना जिला के स्थानीय प्राधिकरणों को सौंप दिया है। अब तक 43 आश्रय-केंद्रों का काम पूरा हो गया है और इन्हें स्थानीय प्राधिकरणों को सौंप दिया है। ई.पी.आई.एल. की वर्ष 2017 में शेष सात आश्रय-केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा कर लेने की योजना है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) के अंतर्गत कोशनगरा, उत्तरी 24 परगना जिला में चक्रवात आश्रय-केंद्र

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) के अंतर्गत पूर्बा मुकुंदपुर, पूर्वी मेदिनीपुर जिला में चक्रवात आश्रय-केंद्र

लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप में एक सुरक्षित निकास (इवैकुएशन) एवं समुदाय केंद्र का निर्माण

4.29 लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से मिनिकोय द्वीप में 3,09,63,600/–रुपए की अनुमानित लागत पर एक सुरक्षित निकास (इवैकुएशन) एवं समुदाय केंद्र के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त किया गया है। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन फरवरी, 2016 में प्रदान किया गया। एन.डी.एम.ए. और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आश्रय–केंद्र की डिजाइन और ड्राइंग की तकनीकी पर्याप्तता का आकलन करने के लिए, आई.आई.टी. खड्गपुर, संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र (एस.ई.आर.सी.), चेन्नई से लिए गए विशेषज्ञों के साथ बनाई गई तकनीकी परामर्शी समिति (टी.ए.सी.) की एक बैठक का आयोजन 17.08.2016 को किया गया। एक तीसरी पार्टी द्वारा जांचे गए फाइनल डिजाइन को टी.ए.सी. सदस्यों द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है और एन.डी.एम.ए. द्वारा अनुमोदन की सूचना लक्षद्वीप प्रशासन को दे दी गई है। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने 3,36,99,200/–रू की एक राशि के अनुमान को संशेधित करने का अनुरोध किया है। तथापि, इसके लिए उचित कारण की प्रतीक्षा है। परियोजना की समयावधि 24 महीनों की है अर्थात 17.07.2018 तक।

लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप में प्रस्तावित बहु–उद्देश्यीय सुरक्षित निकास एवं सामुदायिक केंद्र का विहंगम दृश्य

भूकंपीय क्षेत्र IV एवं V में महत्वपूर्ण शहरों तथा 1 जिले के लिए भूकंप आपदा जोखिम सूची (ई.डी.आर.आई.)

4.30 एन.डी.एम.ए. ने भूकंपीय क्षेत्र IV एवं V में महत्वपूर्ण शहरों तथा 1 जिले के लिए भूकंप आपदा जोखिम सूची (ई.डी.आर.आई.) पर एक कदम उठाया है। विभिन्न विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ उचित परामर्श के साथ, सूचीकरण के काम को 18 महीने में पूरा करने के लिए 45.87 लाख रुपए की एक लागत पर अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.), हैदराबाद को सौंपा गया है। परियोजना संचालन/तकनीकी समिति की तीन परामर्शी बैठकों के बाद 50 शहरों एवं एक जिला को तय कर लिया गया है और सूची तैयार करने के लिए मापदंड/वेटेज बना लिए गए हैं। एन.डी.एम.ए. में दिनांक 14.12.2016 को तय किए गए शहरों/जिले के संबंधित जिला प्राधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई। संबंधित शहरों/जिलों से प्राप्त अपेक्षित सूचना को आई.आई.आई.टी., हैदराबाद को भेजा जा रहा है। परियोजना का चरण 1 तथा 2 पूरा कर लिया गया है। तदनुसार, परियोजना लागत की 70 प्रतिशत राशि को 2 किस्तों में आई.आई.आई.टी., हैदराबाद को जारी कर दिया गया है। ई.डी.आर.आई. के बारे में राज्य/जिला कार्यालयों को सुग्राहीकृत करने के लिए गुजरात में भुज का क्षेत्रीय दौरा मार्च, 2017 में पहले ही कर लिया गया है।

4.31 इस प्रकार का सूचीकरण प्रशासनिक निकायों के लिए बड़ी संख्या में शहरों या क्षेत्र में समग्र जोखिम की तुलना करने और उचित आपदा प्रशमन उपायों के क्रियान्वयन के लिए शहरों की प्राथमिकता तैयार करने में भी मददगार होगा।

मोबाइल विकिरण जांच प्रणाली (एम.आर.डी.एस.)

4.32 एन.डी.एम.ए. द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में विकिरणकीय आपातस्थिति प्रबंधन पर पुलिस

कार्मिकों के सशक्तिकरण हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई। लावारिस स्रोतों के कारण हुई घटनाओं, रेडियो आइसोटोप के कारण हुई परिवहन दुर्घटनाओं, आर.डी.डी. आदि के इस्तेमाल से हुए दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का इस प्रणाली का कारगर उपयोग करके कारगर प्रबंधन किया जा सकता है। यह प्रणाली रेडियोधर्मी सामग्री के अवैध व्यापार पर भी रोक लगाएगी। इस परियोजना में पुलिस गश्ती वाहनों को गो-नोगो विकिरण जांच यंत्रों, विकिरण मापी उपकरणों तथा सुरक्षा थैलों से लैस करना और पुलिस कार्मिकों का प्रशिक्षण शामिल है। इस परियोजना को दिसंबर, 2014 में पाँच सालों की समयावधि के साथ 6.97 करोड़ रुपए की एक अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया।

4.33 दो चरणों में परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से पुलिस और एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। प्रथम चरण में, टी. ओ.टी. कार्यक्रम के आठ बैचों के अंतर्गत, पुलिस और एन.डी.आर.एफ. में से चुने गए भागीदारों को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो इसके बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण देंगे। संचालित किए गए टी.ओ.टी. कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है:

- 16-28 मई, 2016 के दौरान 39 भागीदारों के साथ एन.डी.आर.एफ. 5वीं बटालियन, पुणे में संचालित प्रथम प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी. ओ.टी.) कार्यक्रम।
- 14-27 सितंबर, 2016 के दौरान 44 भागीदारों के साथ एन.डी.आर.एफ. दूसरी बटालियन, हरिनघटा, कोलकाता में संचालित द्वितीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रम।
- 09-21 जनवरी, 2017 के दौरान एन.डी. आर.एफ. चौथी बटालियन, अराकोणम, चेन्नई में संचालित तृतीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रम।
- 06-18 फरवरी, 2017 के दौरान एन.डी.आर. एफ. तीसरी बटालियन, मुंडली, भुवनेश्वर में संचालित चतुर्थ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रम।

4.34 बी.ए.आर.सी. द्वारा वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों (पी.पी.ई.) और यंत्रों की अधिप्राप्ति की जा रही है। पी.पी.ई. की 39 लाख रुपए की एक लागत पर अधिप्राप्ति तय की गई है और 4.3 करोड़ रुपए की एक लागत से यंत्रों की खरीद प्रक्रियान्वयन के अग्रिम चरण में है।

मोबाइल विकिरण जांच प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

भूस्खलन जोखिम प्रशमन के लिए सर्वसमावेशी प्रायोगिक स्कीम (अंब्रेला पायलेट स्कीम)-भूस्खलन जोखिम प्रशमन स्कीम (एल.आर.एम.एस.)

4.35 12वीं योजना के भाग के रूप में, संवेदनशील राज्यों को अपने राज्य में कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरु करने और अन्य परियोजनाएं चालू करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए इस स्कीम की परिकल्पना की गई। हर राज्य की स्थल-विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डी.पी.आर.) को तैयार करने के लिए एक सांचा (टेंपलेट) तैयार करने का निर्णय लिया गया। राज्यों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। इस बारे में, एक राज्य स्तरीय बैठक का 19 दिसंबर, 2014 को एन.डी.एम.ए. में आयोजन किया गया।

4.36 इसके अलावा डी.पी.आर. तैयार करने के लिए एक टेंपलेट को विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ परामर्श से तैयार किया गया और इसे सभी संवेदनशील राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया। अब तक, 107,99 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ, 15 डी.पी.आर. असम, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और गोवा से प्राप्त हुए है। इन डी.पी.आर. पर एन.डी.एम.ए. द्वारा गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी.ई.सी.) के माध्यम से तकनीकी मूल्यांकन हेतु विचार किया गया है। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, गोवा और उत्तराखंड के लिए डी.पी.आर. हेतु टी.ई.सी. की चार बैठकें आयोजित हो चुकी है और अद्यतन डी.पी.आर. की प्रस्तुति के लिए अपेक्षित संशोधन की गुंजाइश (स्कोप) के बारे में संबंधित राज्यों की सूचित कर दिया गया है। उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. के अनुमोदन के लिए टी.ई.सी. द्वारा अनुशंसा की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक समेकित एस.एफ.सी. नोट तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति का प्रतिपादन (फॉर्मूलेशन)

4.37 एन.डी.एम.ए. ने राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के प्रतिपादन (फॉर्मुलेशन) हेतु विशेषज्ञों का एक कार्य-बल गठित किया है। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति की छह स्वतंत्र उप-समूहों के माध्यम से योजना बनाई गई है। संपूर्ण रणनीति को उप-समूहों के प्रमुख के समूह द्वारा तय किया जाएगा। उप-समूहों के छह मुख्य घटक निम्नानुसार है:

i) प्रयोक्ता-सहायक भूस्खलन खतरा मानचित्रों का सृजन

ii) भूस्खलन मॉनिटरिंग और पूर्व चेतावनी प्रणाली (ई.डब्ल्यू.एस.) का विकास

iii) जागरूकता कार्यक्रम

iv) हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

v) पर्वतीय क्षेत्र के विनियम तथा नीतियों का बनाना

vi) भूस्खलनों की स्थिरता तथा उनका प्रशमन करना (स्टेबलाइजेशन एंड मिटिगेशन) और भूस्खलन प्रबंधन के लिए विशेष प्रयोजन इकाई (एस.पी.वी.) का सृजन

4.38 इन छह उप-समूहों की आज तक कुल आठ बैठकों का आयोजन किया गया है और कार्य प्रगति के अंतर्गत है।

एन.डी.एम.ए. में जी.आई.एस. सर्वर की स्थापना और जियो-डेटाबेस का सृजन

4.39 आपदा प्रबंधन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे प्रशमन तैयारी, मोचन, क्षति आकलन, राहत प्रबंधन तथा संसाधन सृजन, की प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में, जियो-डेटाबेस सिस्टम और जी.आई.एस. सर्वर की उपलब्धता होना प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए एक अनिवार्य इनपुट है। एन.डी.एम.ए. ने एक परियोजना

की संकल्पना की है जिसका नाम "एन.डी.एम.ए. में जी.आई.एस. सर्वर की स्थापना और जियो-डेटाबेस का सृजन" है। इस परियोजना में एन.डी.एम.ए. के अंदर आपदा प्रबंधन के लिए अनेक पटलों पर कार्य प्रारंभ करने और एक डेटाबेस के रख-रखाव के लिए आवश्यक हार्डवेअर तथा सॉफ्टवेअर के साथ लैस एक जी.आई.एस. लैब की स्थापना करना है। इस परियोजना को 3.30 करोड़ रुपए की लागत पर जनवरी, 2016 में स्वीकृत किया गया था और इस परियोजना की अवधि 24 मास है। अब तक, 1.93 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। परियोजना क्रियान्वयन के भाग के रूप में, निम्नलिखित कार्य पूरे किए जा चुके है:

- अधिकांश हार्डवेअर तथा सभी सॉफ्टवेअर इंस्टॉल्ड हो चुके हैं और सिस्टम को चालू कर दिया गया है।
- आंकड़ों के एकीकरण को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसियों तथा हितधारकों के साथ संपर्क।
- आंकड़ा सूची और आंकड़ा-अंशांकन का सृजन।
- एन.डी.एम.ए. के जी.आई.एस. सर्वर में प्राप्त डेटा लेयर्स का एकीकरण और जियो-डेटा बेस में संशोधन।
- विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी आंकड़ों का अंशांकन और पुष्टि करना।
- प्रथम मोचक के लिए एक एनड्रॉयड एप्लीकेशन तैयार करना।
- आपदा परिदृश्य के बेहतर आकलन के लिए एप्लीकेशन तथा कस्टमाइजेशन टूल का सृजन।

भूकंप समुत्थानशील मॉडल जिला कार्यक्रम (ई.आर.एम.डी.पी.)

4.40 इस परियोजना का उद्देश्य एक चुनिंदा भूकंप प्रवण शहर/जिला में "भूकंप प्रबंधन" पर एन.डी.एम.ए. दिशानिर्देश लागू करना तथा उसको भूकंप समुत्थानशील शहर/जिला बनाना है। इस कार्यक्रम को भविष्य में सभी संवेदनशील जिलों तक आगे ले जाने का आशय भूकंप समुत्थानशीलता में वृद्धि करना होगा। प्रस्तावित परियोजना में भूकंप आपदा प्रबंधन चक्र के तीनो पहलुओं अर्थात प्रशमन पुनर्वास तथा पुन:निर्माण पर विभिन्न कार्यकलाप करना शामिल हैं।

4.41 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, इन छह राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव का प्रोफेसर सी.वी.आर. मूर्ति, निदेशक, आई.आई.टी. जोधपुर की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया। पश्चिम बंगाल जिले को क्षेत्र दौरे के लिए चुना गया। विशेषज्ञ समिति ने जनवरी, 2016 में चुने गए जिले का दौरा किया और इस कार्यक्रम के लिए शहर/जिले के चयन हेतु सभी हितधारकों के साथ बातचीत की।

4.42 एन.डी.एम.ए. ने अब दो और जिलों को इस कार्यक्रम के लिए शामिल किया है जिनके नाम बरेली (उत्तर प्रदेश) और उत्तरकाशी (उत्तराखंड) हैं। त्रिपुरा से संशेधित प्रस्ताव के साथ-साथ उत्तरकाशी तथा बरेली से भी प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं।

4.43 प्रोफेसर मूर्ति के साथ प्रस्तावों पर विस्तार के चर्चा के लिए 06 जनवरी, 2017 को एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रस्तावों में कमियों को सुधार तथा पुन:प्रस्तुति के लिए, पश्चिम त्रिपुरा तथा उत्तरकाशी को सूचित किया गया। प्रस्ताव मिलने पर, एक समेकित परियोजना प्रस्ताव को तैयार किया जाएगा।

हवाई अड्डों में विकिरणकीय आपातस्थिति पर वृहत् कृत्रिम कवायद (मॉक ड्रिल)

4.44 29 मई, 2015 को इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में एक घटना हुई जिससे विकिरण संबंधी भय फैल गया। ऐसी घटनाओं के दोबारा

घटित होने से बचने के लिए, गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार नियमित कृत्रिम अभ्यास संचालित किया गया। दिनांक 21.08.2016 को दिल्ली हवाई अड्डे में एक कृत्रिम अभ्यास का संचालन किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवा (एन.डी.एम.एस)

4.45 एन.डी.एम.ए. ने एक सेटलाइट आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क के निर्माण के संबंध में एक परियोजना पर काम शुरू किया गया है। संशेधित एन.डी.एस.एस. परियोजना को 19.54 करोड़ रुपए की एक अनुमानित लागत पर दिनांक 07 जनवरी, 2016 को अनुमोदित किया गया। यह परियोजना निम्नलिखित विवरणों के अनुसार एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में 120 स्थानों पर क्रियान्वित की जा रही है:

- राष्ट्रीय स्तर–03 (गृह मंत्रालय, एन.डी.एम.ए. और एन.डी.आर.एफ. मुख्यालय)
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–36 (सभी राज्य की राजधानियों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्यालय)
- चुने हुए संवेदनशील जिले–81

4.46 इस परियोजना का उद्देश्य भूभागीय नेटवर्क के विफल होने की स्थिति में सेटलाइट/एच.एफ. रेडियो के माध्यम से आपदा प्रभावित जिलों के ई.ओ.सी., संबंधित राज्य मुख्यालय, गृह मंत्रालय, एन.डी.एम.ए. तथा एन.डी.आर.एफ. मुख्यालय तथा आपदा स्थलों के बीच वायस कॉल सुविधा द्वारा अचूक संपर्क व्यवस्था उपलब्ध कराना।

4.47 बी.एस.एन.एल. द्वारा 09 फरवरी, 2016 से एन.डी.एम.एस. प्रायोगिक परियोजना लागू की जा रही है। इस परियोजना को दो साल में पूरा किया जाना है। आज की स्थिति के अनुसार, कुल 36 में से 35 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके है।

4.48 आज की स्थिति के अनुसार, 69 स्थानों पर बी.एस.एन.एल. ने वी–सेट प्रदान किए हैं जिनमें से 58 वी–सेट इंस्टॉल हो गए हैं। इसी प्रकार 120 पी.सी./यू.पी.एस. दिए गए हैं, ए.टी.ए. इंस्टॉल किए गए हैं और 48 का परीक्षण हुआ है। समझौता ज्ञापन के एक भाग के रूप में 40 प्रतिशत अग्रिम अर्थात 6.38 करोड़ रुपए बी.एस.एन.एल. को दिए गए हैं। बी.एस.एन.एल. ने 2.30 करोड़ रुपए के लिए निधि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

अध्याय-5

क्षमता विकास

प्रस्तावना

5.1 क्षमता विकास के रणनीतिक तरीके पर हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता से ही कारगर ढंग से काम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर.एंड डी.) आदि शामिल हैं। इसमें समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन प्रणालियां और आपदाओं का कारगर निवारण तथा उनसे निपटने के लिए संसाधनों का आबंटन करना भी शामिल है।

5.2 क्षमता विकास के तरीके में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- प्रादेशिक विविधता और बहु-संकटीय संवेदनशीलताओं की दृष्टि से उनकी विनिर्दिष्ट जरूरतों के लिए, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, जिसमें राज्य और स्थानीय स्तर के प्राधिकारी कार्यान्वयन प्रभारी हों, परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों की अवधारणा बनाना।
- बेहतर कार्य-निष्पादन के रिकॉर्ड वाले ज्ञान-आधारित संस्थानों की पहचान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक और संसार की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- योजनाओं को परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, अनुरूपणों (सिमुलेशंस), मॉक ड्रिलों तथा कौशल विकास पर जोर देना।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लेषण।

उदयपुर, राजस्थान में आपदा प्रबंधन हेतु ब्रिक्स मंत्रियों की दूसरी बैठक

5.3 भारत सरकार ने 22-23 अगस्त, 2016 को उदयपुर, राजस्थान में आपदा प्रबंधन हेतु ब्रिक्स मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में विकास में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य स्थान देने के लिए: पूर्वानुमान तथा पूर्व चेतावनी प्रणालियों के विकास और बदलती जलवायु के एक माहौल में उभरते जोखिम खतरों के प्रबंधन हेतु विशेष तरीकों तथा अच्छी प्रथाओं की पहचान की गई। मंत्रियों की इस बैठक में "उदयपुर घोषणा" नामक एक राजनैतिक घोषणा और सहयोग के तय किए गए क्षेत्रों पर ब्रिक्स देशों की संस्थाओं के बीच सहयोग हेतु अप्रैल, 2016 में सैंट पीटर्सबर्ग्स, रूस में सहमत की गई संयुक्त कार्रवाई योजना को लागू करने के लिए एक कार्य-योजना को अपनाया गया। उदयपुर घोषणा का एक महत्वपूर्ण परिणाम ब्रिक्स देशों द्वारा आपदा जोखिम प्रबंधन (डी.आर.एम.) पर एक संयुक्त कार्य बल गठित करना है।

आपदा मित्र - सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण हेतु स्कीम

5.4 एन.डी.एम.ए. अगस्त, 2016 में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को अनुमोदित किया जिसका फोकस 25 राज्यों के 30 सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों (प्रति जिला 200 स्वयंसेवक) में आपदा मोचन में 6,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षणों पर है। स्कीम के क्रियान्वयन की अवधि 24 मास है। इसका लक्ष्य सामुदायिक स्वयंसेवकों को वे कौशल प्रदान करना है जिनकी किसी आपदा के बाद समुदाय की तुंरत जरूरतों में कार्रवाई के लिए आवश्यकता होगी ताकि वे आपातकालीन स्थितियों जैसे बाढ़, आकस्मिक बाढ़ तथा शहरी बाढ़ के दौरान बुनियादी राहत तथा बचाव कार्यों को करने में सक्षम बन सके। इस स्कीम के अंतर्गत, मानकीकृत प्रशिक्षण मॉडयूलों को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा और राज्य स्तर पर उन प्रशिक्षण संस्थानों को तय (आइडेंटिफाई) किया जाएगा जो परियोजना जिलों से चुनिंदा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। अब तक 20 परियोजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 14 परियोजना राज्यों को 3.63 करोड़ रुपए की निधियां जारी की जा चुकी हैं।

भारत के 5 राज्यों में 10 बहु-विपदाग्रस्त जिलों में आपदा जोखिम में सतत् कमी

5.5 परियोजना का उद्देश्य 10 सर्वाधिक बहु-विपदाग्रस्त असुरक्षित जिलों में समुदाय और स्थानीय स्व-सरकार की तैयारी तथा मोचन को मजबूत करना है अर्थात पाँच चिह्नित राज्यों (उत्तराखंड, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर) में प्रत्येक में 2 जिले। चार परियोजना राज्यों नामत: उत्तराखंड, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में से प्रत्येक को स्थानीय स्तर पर स्कीम का क्रियान्वयन शुरू करने के लिए सितंबर तथा दिसंबर, 2016 के बीच में 39,63,200/-रु (परियोजना की कुल लागत का 40%) की निधियों की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ने आई.ए.एस. अधिकारियों तथा केंद्रीय सेवा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण

5.6 इस परियोजना का लक्ष्य लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आई.ए.एस. तथा अन्य केंद्रीय सेवा के 3800 अधिकारियों को 2013-17 के दौरान 216.48 लाख रुपए की लागत पर प्रशिक्षण देना है। दिसंबर, 2016 तक कुल 3,504 अधि कारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एन.एस.एस.पी.)

5.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भागीदारी से राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एन.एस.एस.पी.) जो भारत सरकार की एक केंद्रीय प्रायोजित प्रदर्शनात्मक परियोजना है, को 48.47 करोड़ रुपए के एक कुल लागत परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना, आपदा से निपटने की तैयारी और सुरक्षा उपायों पर स्कूली बच्चों तथा स्कूली समुदायों को सुग्राहीकृत करने के उद्देश्य से भूकंपीय क्षेत्र IV तथा V में पड़ने वाले 22 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चुनिंदा 43 जिलों (कुल 8,600 स्कूल) में से प्रत्येक में 200 स्कूलों को कवर कर रही है। 5 राज्यों तथा 1 संघ राज्य क्षेत्र ने सभी प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स का काम पूरा कर दिया है और बचे हुए परियोजना राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र परियोजना कार्य-कलापों को पूरा करने के अलग-अलग चरणों में है। परियोजना की अवधि को, बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता के, दिनांक 31.03.2017 तक बढ़ा दिया गया है।

जम्मू एवं कश्मीर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) से बाढ़ राहत के लिए कार्यकलाप

5.8 एन.डी.एम.ए. को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) के अंतर्गत 2014 की बाढ़ के संबंध में जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के साथ राहत कार्य-कलापों में समन्वय का काम सौंपा गया है। आज तक 595,97,64,149/-रु सीधे ही लगभग 2,06,732 लाभभोगियों जिनके घर बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे, के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) सुविधा के माध्यम से जमा कराए गए हैं। इसके साथ उन लाभभोगियों जिन्हें पी.एम.एन.आर.एफ. से सहायता दी जानी थी, को डी.बी.टी. का काम पूरा होता है। अत:, पी.एम.एन.आर.एफ. को 2.25 करोड़ रुपए लौटा दिए गए हैं। एन.डी.एम.ए. ने इस फंड के माध्यम से 217 लाइन आइटमों और 15.71 करोड़ रुपए के मूल्य वाले 1278 उपकरणों की खरीद तथा संबंधित कार्यों को भी मॉनिटर किया।

सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों पर एन.डी.एम.ए. द्वारा प्रदान किया प्रशिक्षण

5.9 संसद भवन प्रशिक्षण इकाई के अनुरोध पर, 'सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों से निपटने की तैयारी' पर एन.डी.एम.ए. भवन में 12.02.2016 से 14.02.2016 और 23.05.2016 से 27.05.2016 तक संसद भवन परिसर सुरक्षा स्टाफ के लिए दो सुग्राहीकरण कोर्सों का संचालन किया गया।

एन.डी.एम.ए.-नागरिक समाज संवाद

5.10 एन.डी.एम.ए. ने डी.आर.आर. एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए भारत में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय गैर-सरकारी और समुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 7 जून, 2016 को एक विचारोत्तेजक सत्र का आयोजन किया। इस बैठक में 30 से अधिक नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डी.आर.आर. संबंधित कार्य-कलापों के संबंध में सार्वजनिक तथा नागरिक समाज के गठजोड़ को मजबूत करने के लिए संभावनाओं तथा प्राथमिकताओं पर सत्र के दौरान विचार-विमर्श किया गया।

भारत में ट्रॉमा जीवन सहायता के क्षेत्र में डॉक्टरों तथा नर्सों का क्षमता विकास

5.11 एन.डी.एम.ए. ने 3 राज्यों (असम, आंध्र प्रदेश और बिहार) के लिए उन्नत ट्रॉमा जीवन सहायता के क्षेत्र में चिकित्सा तथा अर्ध चिकित्सा से जुड़े हुए पेशेवर लोगों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित किया। इस परियोजना का उद्देश्य इन राज्यों में ट्रामा जीवन सहायता के लिए डॉक्टरों, नर्सों तथा अर्द्ध चिकित्सा स्टाफ की एक प्रतिबद्ध टीम को तैयार करना था। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र से डॉक्टरों तथा नर्सों के बैच ने वर्ष 2016-17 में वर्गोन्नत (अप-स्केल्ड) परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

आधिकारिक यात्रएं

5.12

- दिनांक 8 जुलाई, 2016 को संसदीय विकास समिति, नेपाल की संसद से एक नेपाली प्रतिनिधिमंडल एन.डी.एम.ए. में आया। इसके बाद 19 अगस्त, 2016 को नेपाल के माननीय उप प्रधानमंत्री एन.डी.एम.ए. में आए।
- श्री बी. प्रधान, संयुक्त सचिव, एन.डी.एम.ए. ने बर्लिन, जर्मनी में 14-15 जुलाई, 2016 को भारत तथा जर्मनी के बीच आपदा प्रबंधन पर पारस्परिक सहयोग को मजबूत करने के लिए विचार-विमर्श हेतु पहली संयुक्त संचालन समूह (जे.एस.जी.) की बैठक में भाग लिया।
- सुश्री ममता कुंद्रा, परियोजना निदेशक, एन.सी.आर.एम.पी. ने वेनिस, इटली में 16-20 मई,

2016 को विश्व बैंक-जोखिम को समझना-2016 मंच से संबंधित सम्मेलन में भाग लिया जिसका फोकस आपदा प्रबंधन में नई प्रौद्योगिकियों पर था।

- श्री धीरेंद्र सिंह सिन्धु, संयुक्त सलाहकार, एन.डी.एम.ए. ने 3-6 अक्तूबर, 2016 को बांग्लादेश में आयोजित आपदा मोचन अभ्यास तथा विनिमय कार्यक्रम (डी.आर.ई.ई.) 2016 के द्वितीय चरण में भाग लिया।
- लेफ्टि. जरनल एन.सी. मरवाह, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने ब्रुसेल्स में फरवरी, 2017 को विश्व बैंक की आपदा न्यूनीकरण तथा पुनर्बहाली हेतु वैश्विक सुविधा (जी.एफ.डी.आर.आर.) की बैठक के साथ-साथ जेनेवा में 23 फरवरी, 2017 को यू.एन.आई.एस.डी.आर. डोनर बैठक में भाग लिया।
- श्री कमल किशोर, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने बैंकाक, थाइलैंड में 21-22 जून, 2016 को परामर्शी कार्य-दल (20 जून, 2016) की दूसरी बैठक और आई.एस.डी.आर. एशिया भागीदारी (आई.ए.पी.) बैठक में भाग लिया।
- श्री कमल किशोर, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने जेनेवा में 14-18 नवंबर, 2016 को डी.आर.आर. से जुड़ी शब्दावली और संकेतकों पर ओपन एंडिड इंटर-गवर्नमेंट एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप (ओ.आई.ई.डब्ल्यू.जी.) के तीसरे और अंतिम सत्र में भाग लिया।

अध्याय-6

कृत्रिम अभ्यास एवं जागरूकता सृजन

प्रस्तावना

6.1 यह मानते हुए कि जागरूकता आपदा प्रबंधन और समुदाय तैयारी के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण का आधार है, एन.डी.एम.ए. ने इस संबंध में अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं। चालू कार्यक्रम के रूप में, जिला/उद्यम स्तरों पर जागरूकता सृजन, योजना बनाने तथा संसाधनों में मौजूद खामियों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से कृत्रिम अभ्यास/ड्रिलें संचालित की जा रही हैं। आपदा जोखिमों और असुरक्षितताओं के बारे में समुदाय को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। कृत्रिम अभ्यासों से राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन की अपनी कारगरता की समीक्षा करने और जन जागरूकता सृजित करने के साथ मोचन क्षमताओं के मूल्यांकन को सुकर बनाने में मदद मिली है। एन.डी.एम.ए. इन अभ्यासों को राज्य सरकारों की सिफारिशों पर अति संवेदनशील (असुरक्षित) जिलों और उद्योगों में संचालित करता है।

कृत्रिम अभ्यास

6.2 कृत्रिम अभ्यासों का उद्देश्य आपातकालीन मोचन योजनाओं की पर्याप्तता तथा प्रभावोत्पादकता की जांच करना, प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर संबद्ध हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख करना, विभिन्न आपातकालीन सहायता कार्यों के प्रयासों के समन्वयन को वर्धित करना, तथा उन्हें सह-क्रियाशील बनाना, संसाधनों, जन शक्ति, उपस्कर, संचार और प्रणालियों में खामियों का पता लगाना है। ये अभ्यास अति संवेदनशील वर्गों को भी आपदाओं का पूर्ण रूप से सामना करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

6.3 ये अभ्यास चरण-दर-चरण (स्टेप-बाई-स्टेप) तरीके को अपनाकर एक सुनियोजित और व्यापक रीति

चित्र 1 – समन्वय सम्मेलन

चित्र 2 – टेबल टॉप एक्सरसाइज

से आयोजित किए जाते हैं। प्रारंभिक चरण में, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को उजागर करने के लिए विषय-अनुकूलन एवं समन्वयन सम्मेलन आयोजित किया जाता है।

6.4 अगले चरण में, अनुकरण किए गए परिदृश्यों में हितधारकों की कार्रवाइयाँ जानने के लिए एक टेबल टॉप अभ्यास किया जाता है। संपूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र को कवर करने के लिए इन परिदृश्यों को निरूपित किया जाता है। इस चरण के अंत में, जो सबक निकलकर आते हैं; वे सभी सहभागियों के साथ साझा किए जाते हैं और सहभागियों को उनकी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए काफी समय दिया जाता है तथा कृत्रिम अभ्यास के वास्तविक संचालन से पहले उनके अधीनस्थों को प्रशिक्षित किया जाता है। अभ्यास परिकल्पित परिदृश्य के आधार पर किया जाता है। घटना कार्रवाई प्रणाली (आई.आर.एस.) का एक मोचन प्रक्रम के रूप में उपयोग किया जाता है- ई.ओ.सी. को सक्रिय किया जाता है, स्टेजिंग एरिया तथा घटना कमान चौकियों को स्थापित किया जाता है वायरलेस और सैटलाइट फोनों का संचार लिंक टूटने की स्थिति में उपयोग किया जाता है और जरूरत के अनुसार मोचन हेतु मिश्रित कृतिक बल (टास्क फोर्स) बनाए जाते हैं। ये अभ्यास मोचन तथा पुनर्बहाली चरण के दौरान तेजी से कार्रवाई करने, बेहतर तथा एक संगठित तरीके से काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं।

चित्र 3 - ई.ओ.सी. पर्यवेक्षक

चित्र 4 - ई.ओ.सी. योजना चरण

6.5 अभ्यास को मॉनिटर करने के लिए अनेक प्रेक्षकों को भी रखा जाता है तथा सहभागियों के अलावा, समाज से आए दर्शकों और हितधारकों को भी कृत्रिम अभ्यास देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कृत्रिम अभ्यास के बाद विस्तृत जानकारी (डिब्रीफिंग) दी जाती है जिसमें प्रेक्षकों से अपना फीडबैक देने के लिए कहा जाता है। इन अभ्यासों में पाई गई कमियों के बारे में हितधारकों को संसूचित किया जाता है। ताकि वे खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयां करें।

चित्र 5 – स्टेजिंग एरिया

चित्र 6 – सी.बी.आर.एन. खोज एवं बचाव अभियान

6.6 कृत्रिम अभ्यासों ने जमीनी स्तर पर तैयारी की संस्कृति निर्मित करने में सहायता की है। समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ छात्र भी इन अधिकांश अभ्यासों में बड़ी संख्या में शामिल हुए। जिला प्रशासन, कार्पोरेट क्षेत्र तथा अन्य प्रथम मोचकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। सशस्त्र बलों, एन.डी.आर.एफ., एस.डी.आर.एफ., स्थानीय पुलिस अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं, चिकित्सा स्टाफ, नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड्स ने मिश्रित कृतिक बलों के भाग के रूप में सक्रियता से भाग लिया। इन अधिकांश अभ्यासों में राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। इन अभ्यासों को स्थानीय प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भी व्यापक कवरेज दी गई जिससे बड़ी संख्या में लोगों के बीच जागरूकता फैल गई।

चित्र 7 – आपदा स्थल से घायलों का सुरक्षित निकास

चित्र 8 – अस्पताल की बढ़ी हुई क्षमता (सर्ज कैपेसिटी)

6.7 2016-17 के दौरान एन.डी.एम.ए. के पर्यवेक्षण के अंतर्गत संचालित कृत्रिम अभ्यासों की एक सूची नीचे दी गई है:

क्रम सं०	दिनांक	आपदा की किस्म	स्थान एवं राज्य
1.	04 से 26.04.2016	घटना कार्रवाई प्रणाली (आई.आर.एस.)	उत्तराखंड के 7 संवेदनशील जिले
2.	17 से 19.05.2016	भूकंप पर कृत्रिम अभ्यास (जिला स्तर)	फरीदाबाद (हरियाणा)
3.	07 से 12.06.2016	घटना कार्रवाई प्रणाली (आई.आर.एस.)	त्रिपुरा राज्य के 7 संवेदनशील जिले
4.	08 से 10.06.2016	बाढ़ पर कृत्रिम अभ्यास (जिला स्तर)	अम्बाला (हरियाणा)
5.	13 से 16.06.2016	भूकंप पर कृत्रिम अभ्यास (जिला स्तर)	अगरतला (त्रिपुरा)
6.	23 से 28.06.2016	श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारी से संबंधित कृत्रिम अभ्यास	बाल्टाल एवं पहलगाम (जम्मू एवं कश्मीर)
7.	17 से 24.11.2016	भूकंप आपदा पर कृत्रिम अभ्यास (राज्य स्तर)	शिमला (हिमाचल प्रदेश)
8.	20 से 22.02.2017	भूकंप आपदा पर कृत्रिम अभ्यास (राज्य स्तर)	उत्तराखंड
9.	07 से 10.03.2017	सुनामी/चक्रवात पर कृत्रिम अभ्यास (राज्य स्तर)	पुडुचेरी

6.8 वर्ष 2006 से कुल 554 कृत्रिम अभ्यास संचालित किए जा चुके हैं जिसमें 3 बहु-राज्यीय वृहत् कृत्रिम अभ्यास तथा पांच राज्य स्तरीय कृत्रिम अभ्यास शामिल हैं जिनमें सभी जिलों को कवर किया गया है।

चित्र 9 एवं 10 - राज्य अधिकारियों के साथ हॉट वाश और डीब्रिफिंग सत्र तथा जिला मुख्यालयों के साथ ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंस

कृत्रिम अभ्यासों पर नई स्कीम/परियोजना

6.9 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्य सरकारें आपदाओं से कारगर ढंग से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हो, एन.डी.एम.ए. ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (29 राज्य, 7 संघ राज्य क्षेत्र तथा 683 जिले) को वित्तीय सहायता देने के लिए दिनांक 26.05.2016 को एक नई स्कीम शुरू की जिसके अंतर्गत 2016-17 के दौरान कृत्रिम अभ्यास के संचालन के लिए प्रति जिला/राज्य मुख्यालय को 1 लाख रुपए के एक अनुदान का आबंटन किया गया। कुल 4.19 करोड़ रुपए की राशि 31 मार्च, 2017 तक इस स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांगों की एवज में जारी की गई। इस स्कीम को अब 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया गया है।

जागरूकता सृजन

6.10 आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास में जनसंपर्क एवं जागरूकता सृजन (पी. आर एंड ए.जी.) प्रभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन अभियानों का फोकस आम जनता तक पहुँच कर आपदा प्रबंधन हेतु एक उचित वातावरण तैयार करने पर है। ये जागरूकता अभियान विभिन्न संचार माध्यमों जैसे दूरदर्शन (टी.वी.), रेडियो, प्रिंट-मीडिया, प्रदर्शनी आदि के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन जागरूकता अभियानों के दो निम्नलिखित प्रधान उद्देश्यों हैं:

क) किसी भी आसन्न आपदा (भूकंप, चक्रवात बाढ़, भूस्खलन आदि) से निपटने के लिए देश के नागरिकों को तैयार करना।

ख) आपदा की परिस्थितियों से बचने के लिए, विभिन्न निवारक एवं प्रशमक उपायों के बारे में लोगों को जानकारी देना तथा शिक्षित करना।

6.11 वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान चलाए गए।

श्रव्य-दृश्य (ऑडियो-विजुअल) अभियान

6.12 दूरदर्शन - प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़, भूस्खलन, तथा चक्रवात पर वीडियो स्पॉटों का दूरदर्शन (दूरदर्शन का राष्ट्रीय नेटवर्क तथा प्रादेशिक केंद्र) पर प्रसारण किया गया। प्रत्येक आपदा पर 30 सेकिंडों की अवधि वाले अनेक स्पॉटों को दूरदर्शन ने अपने संबंधित आपदा प्रवण क्षेत्रों में 15 दिनों के लिए फेरबदल (शफलिंग) आधार पर चलाया। अभियानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अभियान	स्पॉट	30 सेकिंडों वाले स्पॉट का विषय	भाषा	उन राज्यों के नाम जहां स्पॉट को चलाया गया	प्रसारण अवधि
भूकंप	05	1 सलाह से सलामती 2 झुको, ढको, पकड़ो 3 सावधाान है तो जान है 4 तैयारी में है समझदारी 5 नॉन-स्ट्रक्चरल	हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असमी, उड़िया, मराठी, नेपाली, खासी, मिजो, मणिपुरी	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में भूकंप प्रवण क्षेत्र IV तथा V.	01/10 से 15/10 तक

बाढ़	04	1 अम्मा 2 मैं तैयार हूं 3 अनेकता में एकता 4 एन.डी.आर.एफ. इन एक्शन	हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असमी, उड़िया, भोजपुरी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, कोंकणी, तमिल, तेलुगु	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप	06/07 से 20/07 तक
चक्रवात	02	1 मछुआरा 2 घर फिर बन जाएगा	हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असमी, उड़िया, कन्नड़, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु	ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, अंडमान एवं निकोबार, पुडुचेरी और गुजरात	16/09 से 30/09 तक
भूस्खलन	03	1 हमारी गलती 2 भूविज्ञानी 3 डाकिया	हिंदी, असमी, मणिपुरी, खासी, गारो, नेपाली, मिजो	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार	11/08 से 25/08 तक
शहरी बाढ़	02	1 अर्बन फ्लडिंग 2 शहरी बाढ़ से बचाव	हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असमी, उड़िया, भोजपुरी, कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु	जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल तथा महाराष्ट्र	01/08 से 15/08 तक

आकाशवाणी– प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़ और भूस्खलन पर ऑडियो स्पॉटों का आकाशवाणी पर प्रसारण किया गया। प्रत्येक आपदा पर 30 सेकिंडों की अवधि वाले अनेक स्पॉटों को आकाशवाणी ने अपने संबंधित आपदा प्रवण क्षेत्रों में 15 दिनों के लिए फेरबदल (शफलिंग) आधार पर चलाया। अभियानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अभियान	स्पॉट	30 सेकिंड वाले स्पॉट का विषय	भाषा	उन राज्यों के नाम जहां स्पॉट को चलाया गया	प्रसारण अवधि
भूकंप	05	1 सलाह से सलामती 2 झुको, ढको, पकड़ो 3 सावधान है तो जान है 4 तैयारी में है समझदारी 5 नॉन-स्ट्रक्चरल	हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असमी, उड़िया, मराठी, नेपाली, खासी, मिजो, मणिपुरी	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में भूकंप प्रवण क्षेत्र IV तथा V.	19/09 से 03/10 तक
बाढ़	04	1 अम्मा 2 मैं तैयार हूं 3 अनेकता में एकता 4 एन.डी.आर.एफ. इन एक्शन	हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असमी, उडिया, भोजपुरी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, कोंकणी, तमिल, तेलुगु	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप	01/09 से 15/09 तक 02/08 से 16/08 तक 24/09 से 08/10 तक
भूस्खलन	03	1 हमारी गलती 2 भूविज्ञानी 3 डाकिया	हिंदी, असमी, मणिपुरी, खासी, गारो, नेपाली, मिजो	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार	29/07 से 12/08 तक
शहरी बाढ़	02	1 अर्बन फ्लडिंग 2 शहरी बाढ़ से बचाव	हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असमी, उड़िया, भोजपुरी, कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु	जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल तथा महाराष्ट्र	29/07 से 12/08 तक

प्रिंट अभियान

6.13 जागरूकता सृजन के लिए प्रिंट मीडिया का, विभिन्न अखबारों में विज्ञापन निकाल कर, उपयोग किया गया है। 26 जुलाई, 2016 को बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में निम्नलिखित भाषाओं- अंग्रेजी (10), हिंदी (24) तथा असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की 38 अन्य भाषाओं में तीन प्रकार के अखबारों नामत: बड़े अखबार (20), मध्य आकार के अखबार (44) तथा लघु अखबार (8) में बाढ़ पर जागरूकता सृजन सामग्री का प्रकाशन किया गया।

एन.डी.एम.ए. के 12वें स्थापना दिवस का मनाया जाना

6.14 दिनांक 28.09.2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। श्री हंसराज गंगाराम अहीर, माननीय गृह राज्य मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई। श्री अहीर ने एक सुरक्षित, मजबूत तथा समुत्थानशील भारत की दूरदृष्टि (विजन) के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

6.15 उद्घाटन सत्र के बाद तीन सत्रों का आयोजन किया गया:

i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना और इसकी अनुवर्ती कार्रवाई,

ii) आपदा से निपटने की तैयारी और सर्वोत्तम प्रथाओं तथा अभिनव प्रौद्योगिकियों को साझा करना,

iii) आपदा जोखिम न्यूनीकरण, 2016 पर एशियाई मंत्रालयीन सम्मेलन के लिए पूर्वावलोकन।

6.16 उद्घाटन सत्र में माननीय गृह राज्य मंत्री द्वारा एन.डी.एम.ए. के न्यूज लेटर "संवाद" के एक विशेष अंक को जारी किया गया। माननीय मंत्री ने दिनांक 1 जून, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत की प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.) को शुरू किए जाने का उल्लेख किया। एन.डी.एम.पी. को आपदा जोखिम न्यूनीकरण की सेन्डाई रूपरेखा (एस.एफ.डी.आर.आर.) के अनुसार तैयार (अलाइन) किया गया।

6.17 डॉ. पी.के. मिश्रा, प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव ने इस अवसर पर बोलते हुए, "नए जोखिमों को उत्पन्न होने से रोकने, मौजूदा जोखिमों को कम करने तथा आपदाओं के घटने के बाद की स्थिति के प्रबंधन के लिए मोचन तथा पुनर्बहाली क्षमताओं को मजबूत करने" की जरूरत पर जोर दिया।

6.18 राज्यों ने दूसरे तकनीकी सत्र के दौरान अपनी बेहतरीन प्रथाओं को साझा किया। इस विचार-विमर्श सत्र में कई लोगों ने सक्रिय भागीदारी की।

दिल्ली एवं एन.सी.आर. में भूकंप अभियान

6.19 भूकंप पर जागरूकता अभियानों को अब कई सालों से नियमित रूप से विभिन्न माध्यमों जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रिंट मीडिया तथा प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से चलाया जा रहा है जिनका फोकस

जनता के बीच जागरूकता फैलाने तथा उसको किसी आसन्न भूकंप से निपटने के लिए तैयार करने पर होता है।

चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2016-17 में दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा शीर्ष न्यूज चैनलों के माध्यम से ऑडियो-वीडियो/ऑडियो स्पॉटों के द्वारा दिल्ली-एन. सी.आर. में एक सघन भूकंप जागरूकता कार्यक्रम को प्रसारित किया गया। अक्तूबर-नवंबर, 2016 में 15 दिनों के लिए फेरबदल आधार (शफलिंग बेसिस) पर 30 सेकिंड प्रत्येक के कुल पांच स्पॉटों को प्रसारित किया गया।

इस अभियान के एक भाग के रूप में, इन स्पॉटों को एक महीने के लिए 211 थिएटरों में अक्तूबर-नवंबर, 2016 में फेरबदल आधार पर शो शुरू होने से पहले तथा इंटरवल में प्रसारित किया गया।

इस अभियान को दिल्ली मेट्रो में भी इसके पैनलों के माध्यम से इसी अवधि के दौरान चलाया गया। इस अभियान में भूकंप के पहले, दौरान तथा बाद के परिदृश्यों के लिए क्या करें तथा क्या न करें से संबंधित हिदायतों पर विशेष बल दिया गया है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रालयीन सम्मेलन (ए.एम.सी.डी.आर.आर.)

6.20 एन.डी.एम.ए. ने ए.एम.सी.डी.आर.आर. के आयोजन में अपना सहयोग दिया जिसे नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 3 से 5 नवंबर, 2016 तक आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति (यू.एन.आई. एस.डी.आर.) के सहयोग से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था, में 50 से अधिक एशियाई तथा प्रशांत देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जिन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया, ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) हेतु एक 10-सूत्री कार्य-सूची को रेखांकित किया जिसके माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित विषयों की एक विशाल श्रेणी का उल्लेख किया गया। सम्मेलन के अंतिम दिन प्रथम विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया जिसका उद्देश्य सुनामी के खतरों और इसके असर के प्रशमन में पूर्व चेतावनी प्रणलियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना था। इस सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा और सेन्डाई रूपरेखा के क्रियान्वयन हेतु एशियाई क्षेत्रीय योजना को अपनाकर एशियाई क्षेत्र में सेन्डाई रूपरेखा के क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया।

एन.डी.एम.ए. ने "मेक इन इंडिया" पर एक विषयगत फोकस सहित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें 100 से अधिाक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यू.), विदेशी सरकारों, संयुक्त राष्ट्र निकायों, निजी संगठनों आदि ने भाग लिया। एन.डी.एम.ए. ने एक लघु फिल्म फेस्टिवल के आयोजन में भी यू.एन.आई. एस.डी.आर. के साथ मिलकर काम किया जिसमें तीन श्रेणियों: डी.आर.आर. का सकारात्मक मानवीय प्रभाव, विकास हेतु डी.आर.आर. और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, के अंतर्गत पूरे एशिया से एंट्री के रूप में आई फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

अक्तूबर-नवंबर, 2016 के दौरान प्रिंट तथा इलैक्ट्रनिक मीडिया में ए.एम.सी.डी.आर.आर. 2016 के आस-पास गतिविधियां घटित होती रही। सम्मेलन की अवधि के दौरान दिल्ली में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में पूर्वावलोकन कार्यक्रम और डी.आर.आर. पर दूरदर्शन पर परिचर्चाएं आयोजित की गई।

- सम्मेलन के पूर्व तथा दौरान नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई। ए.एम.सी.डी. आर.आर. से पहले संपादकीय, साक्षात्कार भी प्रकाशित किए गए।
- आपदा से जुड़े विषयों पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए लघु फिल्में, शहरी बाढ़ तथा चक्रवात, प्रत्येक पर एक लघु फिल्म और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) की दिशा में भारत के प्रयासों को दर्शाने वाली एक फिल्म का निर्माण किया गया।
- एन.डी.एम.ए. में आयोजित नियमित बैठकों तथा कार्यशालाओं पर भी प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई।

ए.एम.सी.डी.आर.आर., 2016 में स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता

6.21 10-14 साल के आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन दो चरणों-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर-में किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के पहले तीन विजेताओं को ए.एम.सी.

डी.आर.आर. में 3 नवंबर, 2016 को उद्घाटन दिवस पर आयोजित ऑन-दि-स्पॉट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई तथा कार्यक्रम स्थल पर गए। उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की और भागीदारों का हौसला बढ़ाया।

प्रतियोगिता का विषय "आपदा, विकास और हम" था। प्रतियोगिता का यह विषय आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़ा था और इसका लक्ष्य बच्चों को और जागरूक बनाना तथा पर्यावरण को सुरक्षित तथा स्वास्थ्यवर्धक रखने के सरल तथा कारगर उपायों को करने की जरूरत तथा महत्व को उनको महसूस कराना था। इस प्रतियोगिता में 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 47 छात्रों ने भाग लिया। एन.डी.एम.ए. ने वर्ष 2017 के लिए एक टेबल कलैंडर भी निकाला है जिसमें बच्चों द्वारा बनाए गए इन चित्रों (पेंटिंग्स) को शामिल किया गया है।

36वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2016 में एन.डी.एम.ए. द्वारा भाग लेना

6.22 14 से 27 नवंबर, 2016 के दौरान हॉल संख्या 12, आई.टी.पी.ओ., प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 36वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2016 में एन.डी.एम.ए. ने भाग लिया और भूकंप पर पैनलों तथा कियास्को को रख कर आम जनता, छात्रों तथा विभिन्न हितधारकों के बीच विभिन्न किस्मों की आपदाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार किया।

6.23 डॉ. पी.के. मिश्रा, प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव ने 14 नवंबर, 2016 को एन.डी.एम.ए. की पवेलियन (स्टॉल) का उद्घाटन किया। मेले के दौरान, समुदायों को आपदा जोखिम से बचने के लिए समुत्थानशील बनाने हेतु किए गए प्रयासों को दर्ज़ाने के लिए रचनात्मक पोस्टरों, मुद्रित सामग्री तथा वीडियो का प्रदर्शन किया गया।

6.24 मेले की पूरी अवधि के दौरान आपदा जोखिम के लिए एन.डी.एम.ए. की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवा

(एन.डी.एम.एस.) का सजीव प्रदर्शन किया गया। आपदा प्रबंधन के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक सोशल मीडिया डेस्क भी स्थापित किया गया।

6.25 ए.एम.सी.डी.आर.आर., 2016 में राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा बनाया गया 47 चित्रों का एक कोलाज प्रदर्शित किया गया। यह कोलाज स्टॉल का सेल्फी–पॉइन्ट बन गया।

मेले के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) द्वारा जीवन रक्षक तकनीकों का सजीव प्रदर्शन एक मुख्य आकर्षण था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) ने भी बच्चों को मजेदार खेलों, प्रश्नोत्तरियों आदि के माध्यम से आपदा के बारे में समझाने के लिए इस मंच का उपयोग किया।

सोशल मीडिया अभियान

6.26 आपदाओं की रोकथाम, प्रशमन तथा उससे निपटने की तैयारी से जुड़े संदेशों के प्रसार के लिए सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान शुरू किए गए। इन सोशल मीडिया अभियानों में लू, बाढ़, शीत–लहर, शहरी बाढ़, भूकंप, सी.बी.आर.एन. आपात–स्थितियों, प्राथमिक सहायता, तनाव प्रबंधन, अस्पताल सुरक्षा, गैस रिसाव से सुरक्षा, बिजली गिरना, आग से सुरक्षा तथा चक्रवात से जुड़ी क्या करें तथा क्या न करें संबंधित हिदायतें शामिल थी। #लू सुरक्षा, #लू जागरूकता सुरक्षा, #भूकंप सुरक्षा, #बाढ़ सुरक्षा, #शहरी बाढ़ सुरक्षा, #बिजली गिरना सुरक्षा, #शीत लहर सुरक्षा, #नाभिकीय आपातस्थिति सुरक्षा, #गृह सुरक्षा, #रासायनिक आपातस्थिति सुरक्षा, #चक्रवात सुरक्षा तथा #आग से सुरक्षा, जैसे हैश टैगों का इस्तेमाल किया गया है। इन हैश टैगों से एन.डी.एम.ए. के सोशल मीडिया चैनलों को और अधिक ऑनलाइन ऑडियंस को जोड़ने में मदद मिली।

ट्विटर रिपोर्ट

6.27 इंप्रेशन/रीच: एन.डी.एम.ए. के ट्वीट्स और फेसबुक की अपडेटें बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रही हैं। न केवल यह उनके निजी खातों पर नजर आती हैं, बल्कि वे इन्हें आगे भी शेयर करते हैं। इस प्रकार ये अपडेटें उन प्रयोक्ताओं (सेकेंडरी यूजर्स) तक भी पहुंच रही हैं जो एन.डी.एम.ए. के अकाउंट्स को फॉलो करते या नहीं कर रहे हैं लेकिन वो इसकी अपडेटों को पढ़ रहें हैं:-

- एक दिन में प्रकाशित ट्वीट्स की संख्या: 24
- एन.डी.एम.ए. के ट्विटर पेज पर प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या: 9,255 विजिटर्स
- इंप्रेशंस की संख्या (ट्वीट्स की रीच): 6,06,000
- 1 मई, 2016 को फॉलोअर्स: 9,000
- 31 मार्च, 2017 को फॉलोअर्स: 35,900
- बढ़े हुए फॉलोअर्स की संख्या: 26,900

फेसबुक रिपोर्ट

6.28

- एक दिन में प्रकाशित पोस्टों की संख्या: 08
- प्रति सप्ताह फेसबुक पोस्टों की लोगों तक कुल पहुंच: 40,000
- प्रति माह फेसबुक पोस्टों की लोगों तक कुल पहुंच: 1,60,000
- 2 मई, 2016 को फॉलोअर्स: 1,00,000
- 31 मार्च, 2017 को फॉलोअर्स: 1,89,435
- बढ़े हुए फॉलोअर्स की संख्या: 89,435

विशेष सोशल मीडिया अभियान

6.29

- **एन.डी.एम.ए. सवाल पूछो अभियान**

  लोगों से विभिन्न आपदा से जुड़े विषयों पर सवाल पूछे गए ताकि उनमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़े क्षेत्रों में रूचि पैदा की जाए तथा उनका जागरूकता स्तर बढ़े। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस अभियान में भाग लिया। उदाहरण के लिए, #एन.डी.एम.ए. से सवाल पूछो के जवाब में लू के असर के प्रशमन पर कई सुझाव प्राप्त किए गए।

- **प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं पर खबरें**

  आपदा से सुरक्षा पर जागरूकता उत्पन्न करने के अलावा, एन.डी.एम.ए. ने नौका दुर्घटनाओं तथा गैस रिसाव जैसे हादसों पर खबरें प्रकाशित की। एन.डी.एम.ए. ने संगठनों जैसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) द्वारा चलाए जा रहे राहत तथा बचाव अभियानों पर अपडेटों को भी प्रकाशित किया।

- **सवाल पूछो-एन.डी.एम.ए. अभियान**

  एन.डी.एम.ए. ट्विटर हैंडल पर जनता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के तुरंत (लाइव) उत्तर देने के लिए एक विशेष आपदा से संबंधित विशेषज्ञ को बुलाया गया। इस विशेष कड़ी की तारीख तथा समय को पहले ही तय किया गया और आम जनता के बीच विषय पर रूचि पैदा करने के लिए एन.डी.एम.ए. के सोशल मीडिया अकाउंट पर इसके बारे में प्रचार किया गया।

- **ए.एम.सी.डी.आर.आर.**

  सम्मेलन के शुरू होने के कम-से-कम एक महीने पहले ही ए.एम.सी.डी.आर.आर. का जोर-ज़ोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। ए.एम.सी.डी.आर.आर. के दौरान आयोजित किए गए पूर्वावलोकन कार्यक्रमों के सत्रों का

लाइव वीडियो ब्रॉडकास्टिंग ऑप्शन के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान भी विभिन्न सत्रों पर लाइव ट्विटिंग और फेसबुक अपडेटें दी गईं।

- **फेसबुक फॉलोअर्स**

एन.डी.एम.ए. के सोशल मीडिया अकाउंट को जानी-पहचानी मीडिया पर्सनेलिटी, एन.जी.ओ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, कई देशों की सरकारी एजेंसियों, कई मीडिया संगठनों के सी.ई.ओ. और अन्य सत्यापित अकाउंटधारकों द्वारा फॉलो किया किया गया।

- **अन्य कार्यकलाप**

अन्य सोशल मीडिया मंचों जैसे इंस्टाग्राम तथा पिंटरेस्ट पर भी जागरूकता सृजन का काम किया जा रहा है। आई.आई.टी.एफ., ए.एम.सी. डी.आर.आर.-पूर्वावलोकन कार्यक्रम, ए.एम.सी. डी.आर.आर., स्थापना दिवस आदि में विशेष अभियान चलाए गए।

6.30 सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के परामर्श से ब्लूप्रिंट का मसौदा तैयार किया गया और इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए विदेश मंत्रालय को भेजा गया। इस ब्लूप्रिंट पर सदस्य राज्यों के विशेषज्ञ समूह द्वारा आगे विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र के काम के पांच योजना स्तंभ (प्रोग्रामिंग पिलर) होंगे जिनमें क्षमता विकास एवं ज्ञान प्रबंधन शामिल है। इस केंद्र को एक चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा।

अध्याय-7

आपदा मोचन के कार्य को सुदृढ़ करना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) नियंत्रण कक्ष का संचालन

7.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) नियंत्रण कक्ष का कार्य 24×7 (प्रतिदिन) आपदाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी को, जब भी आवश्यक हो, प्रदान करना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.), केंद्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.), हिम एवं हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (एस.ए.एस.ई.), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस.डी.एम.ए.), मीडिया आदि से रिपोर्टों को समय रहते इकट्ठा किया जाता है और इनको एन.डी.एम.ए. के अंदर तथा बाहर अधिकारियों के पास, जब और जैसे स्थिति की मांग हो, भिजवाया जाता है। नियंत्रण कक्ष द्वारा आपदा प्रभावित राज्यों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) की तैनाती और बचाव तथा राहत प्रयासों के कार्य को पूरे वर्ष मॉनिटर किया गया।

आपदा मोचन के क्षेत्र में राज्य आपदा मोचन बल (एस.डी.आर.एफ.) में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.)

7.2 एन.डी.एम.ए. द्वारा संचालित एस.डी.आर.एफ. को प्रशिक्षण एक नियमित कार्यकलाप (ऑनगोइंग एक्टिविटि) है। 15,13,380/- रुपए की एक लागत पर विभिन्न राज्यों के 110 एस.डी.आर.एफ. कार्मिकों के लिए टी.ओ.टी. की योजना बनाई गई। योजना के हिस्से के रूप में, आपदा कार्रवाई में चार टी.ओ.टी. कोर्सों का पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नीपा), शिलांग; सीमा आपदा मोचन संस्थान (बी.आई.डी.आर.), बी.एस.एफ. अकादमी, टेकनपुर, ग्वालियर; केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, सी.आर.पी.एफ. कोयम्बटूर और एन.आई.टी.एस.डी.आर., बी.टी.सी., आई.टी.बी.सी., भानु, चंडीगढ़ में मई (28.03.2016-07.05.2016,) सितंबर (11.07.2016-20.08.2016), 14.09.2016-27.10.2016 तथा 03.02.2017-05.04.2017 के दौरान संचालन किया गया। कुल 156 एस.डी.आर.एफ. कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

संबंधित एन.सी.सी. अधिकारियों (ए.एन.ओ.), नागरिक सुरक्षा, नेहरु युवा केंद्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) आदि के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण

7.3 नागरिक सुरक्षा कार्मिक, एन.वाई.के.एस. स्वंयसेवक, ए.एन.ओ. समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एन.डी.एम.ए. ने एन.सी.सी. (ए.एन.ओ.), एन.वाई.के.एस. तथा नागरिक सुरक्षा कार्मिकों की वर्ष 2015 से आपदा प्रबंधन पर ओरियंटेशन ट्रेनिंग की शुरुआत की है। एन.डी.आर.एफ. बटालियनों की सभी 12 लोकेशनों के लिए इन कार्यक्रमों की योजना को बनाया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, (24.05.2016-26.05.2016), (28.09.2016-30.09.2016), दिसंबर (27.12.2016-29.12.2016), तथा फरवरी (22.02.2017-24.02.2017) में चार लघु प्रशिक्षण

कार्यक्रमों (ट्रेनिंग कैप्सूल) का आयोजन किया गया जिनमें क्रमशः 270, 312, 251 और 213 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

मानसून की स्थिति का विश्लेषण

7.4 श्री आर.के. जैन, सदस्य, एन.डी.एम.ए. द्वारा देश में मानसून-पूर्व तथा मानसून-पश्चात् स्थिति (अप्रैल-सितंबर, 2016) की समीक्षा के लिए साप्ताहिक बैठकों की अध्यक्षता की। बाढ़ प्रवण/प्रभावित राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नरों/प्रतिनिधियों ने बैठकों में भाग लिया और उन्हें आई.एम.डी., सी.डब्ल्यू.सी., एन.डी.आर.एफ., शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने मानसून की स्थिति पर संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया। एन.डी.आर.एफ. की तैनाती की नियमित समीक्षा की गई और स्थिति से निपटने के लिए जरूरी हिदायतें दी गई।

बड़ी आपदाओं के दौरान राहत तथा बचाव कार्यकलापों का समन्वयन कार्य

7.5

- एन.डी.एम.ए. ने अगस्त, 2016 के महीने में सिक्किम में कनक नदी के ऊपर भूस्खलन प्रशमन पुल के लिए कार्ययोजना बनाने हेतु विशेषज्ञ समूह में भागीदारी की।
- चक्रवात "वरदा" (06.12.2016 से 13.12.2016)-आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में लगभग 13578 लोगों को चक्रवात से सुरक्षित निकाला/बचाया। हैवलॉक तथा नील द्वीपों (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) में फंसे हुए कुल 1,775 टूरिस्टों को सुरक्षित बाहर निकाला। एन.डी.एम.ए. ने सुरक्षित निकास तथा बचाव अभियानों पर नियमित निगरानी रखी। एन.डी.एम.ए. के सोशल मीडिया चैनलों ने चक्रवात के पहले, दौरान तथा बाद में सूचना के प्रसारण में एक बड़ी भूमिका अदा की।
- फिजी (चक्रवात), श्रीलंका (बाढ़) तथा इक्वाडोर (भूकंप) को राहत सहायता पहुंचाने में समन्वय किया।

अध्याय-8

प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

8.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं- (i) नीति, योजना, क्षमता निर्माण और जागरूकता प्रभाग, (ii) प्रशमन प्रभाग, (iii) प्रचालन और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन, समन्वय, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रभाग तथा (v) वित्त और लेखा प्रभाग।

नीति, योजना, और जागरूकता सृजन प्रभाग

8.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों के निर्माण और योजनाओं के अनुमोदन और सभी राज्यों में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता से जुड़े सभी मामलों को देखता है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में शामिल कराना भी इस प्रभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारी (स्टाफ) की संख्या 15 हैं जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) तथा आठ सहायक स्टाफ शामिल हैं।

8.3 जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण भी इस प्रभाग का एक अन्य कार्य है जो एन.डी.एम.ए. द्वारा देखे जाने वाला एक प्रमुख विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का काम अपने हाथ में ले रखा है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तरों पर उत्पन्न की जाए। यह जमीनी स्तर पर समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल करने के साथ-साथ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, दोनों संचार साधनों के उपयोग से जागरूकता सृजन करने की अवधारणा बनाने और निष्पादन का काम भी करता है।

प्रशमन प्रभाग

8.4 इस प्रभाग के उत्तरदायित्वों में केंद्रीय सरकार और राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन परियोजनाओं (चक्रवातों, भूकंपों, बाढ़ों, भूस्खलनों जैसे खतरों और अबाधित संचार व्यवस्था और सूचना प्रौद्यागिकी योजना आदि) का काम करना शामिल है। यह माइक्रोजोनेशन, असुरक्षितता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं के मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों का कार्य भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण (मॉनिटर) भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 10 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और पांच सहायक स्टाफ हैं।

प्रचालन और संचार प्रभाग

8.5 एन.डी.एम.ए. को आपदा की स्थिति में सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहना अनिवार्य है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण परिचित रहना अनिवार्य है। इसके लिए एन.डी.एम.ए. के

पास दिन-रात आपदा विनिर्दिष्ट सूचना और आंकड़ों संबंधी जानकारी (इनपुट) देने की सुविधा के लिए एक प्रचालन केंद्र है तथा यह मोचन के बाद के चरणों में भी प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। यह प्रभाग पुनर्वास तथा पुनर्बहाली से जुड़े कार्यों से भी निकटता से जुड़ा रहता है।

8.6 इस प्रभाग का काम प्रतिबद्ध और लगातार प्रचालनात्मक अत्याधुनिक संचार प्रणालियों का रखरखाव करना भी है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी खंड के महत्त्वपूर्ण घटकों में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क तथा जी.आई.एस. आधारित अनुप्रयोगों पर बल सहित ज्ञान प्रबंधन और आंकड़ों के संयोजन के विशेष संदर्भ में आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली शामिल हैं। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 17 हैं जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और सात सहायक स्टाफ हैं।

प्रशासन, समन्वय, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रभाग

8.7 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यकलापों में मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के साथ आपदा प्रबंधन पर विस्तृत पत्राचार करते रहना शामिल है। यह प्रभाग एन.डी.एम.ए. के सदस्यों और स्टाफ को सभी स्तरों पर प्रशासनिक एवं संभार-तंत्र संबंधी सहायता भी प्रदान करता है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण इस प्रभाग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रभाग में स्वीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या 22 है जिसमें एक संयुक्त सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव और 18 सहायक कर्मचारी हैं।

वित्त और लेखा प्रभाग

8.8 वित्तीय और लेखा प्रभाग लेखा-अनुरक्षण रखने, बजट बनाने, प्रस्तावों की वित्तीय संवीक्षा आदि विषयक कार्य करता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति को मॉनिटर भी करता है तथा अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या आठ है जिनमें एक वित्तीय सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव स्तर का), एक अनुभाग अधिकारी, दो सहायक अनुभाग अधिकारी (ए.एस.ओ.) और दो सहायक स्टाफ हैं। इसके कार्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देना।
- स्कीम और महत्त्वपूर्ण व्यय प्रस्ताव तैयार करने में, उनसे उनके आरंभिक चरणों से ही, निकटता से जुड़े रहना।
- लेखा-परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा परीक्षा पैराग्राफों आदि के निपटारे का काम देखना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों की समय से प्रस्तुति को सुनिश्चित करना।

एन.डी.एम.ए. के लिए बजट तैयार करना तथा उसकी मॉनीटरिंग करना

8.9 एन.डी.एम.ए. के लेखों (अकाउंट्स) का हिसाब-किताब मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) कार्यालय, गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाता है। एन.डी.एम.ए. के भुगतान तथा प्राप्ति कार्यकलापों का प्रबंध भी मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वेतन एवं लेखा कार्यालय, एन.डी.एम.ए. द्वारा किया जाता है।

वित्त और बजट:

एन.डी.एम.ए.-अप्रैल, 2016 से जनवरी, 2017 की अवधि के लिए बजट आबंटन एवं व्यय (आयोजना)

परियोजना का नाम	बजट अनुमान 16-17	संशोधित अनुमान 16-17	31.01.2017 तक व्यय
विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)	6419200	6343300	5298398
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ.डी.एम.पी.)	359700	177000	101905

एन.डी.एम.ए.-अप्रैल, 2016 से जनवरी, 2017 की अवधि के लिए बजट आबंटन एवं व्यय (आयोजना-भिन्न)

आयोजना-भिन्न एम.एच. 2245	बजट	संशोधित अनुमान 16-17	31.01.2017 तक व्यय
योग	309100	239900	183634

टिप्पणी: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय-विज्ञापन एवं प्रचार निदेशालय के आंकड़े समाहित।

अनुबंध-I

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

वर्तमान संघटन

1.	भारत के माननीय प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री आर.के. जैन (सेवानिवृत्त)	सदस्य (01.12.2015 से), सदस्य सचिव (23.02.2015 से 30.11.2015)
3.	लेफ्टिनेन्ट जनरल एन.सी. मरवाह, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त)	सदस्य (30.12.2014 से)
4.	डॉ. डी.एन. शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से)
5.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से)

पूर्व सदस्य

1.	जनरल एन.सी. विज	उपाध्यक्ष (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
2.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16.12.2010 से 16.06.2014 तक) सदस्य (11.10.2010 से 16.12.2010 तक) सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
3.	ले. जनरल (डॉ.) जे.आर. भारद्वाज	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
4.	डॉ. मोहन कांडा	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
5.	प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
6.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य (14.08.2006 से 13.08.2011 तक)
7.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (14.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)

8.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (15.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (21.08.2006 से 20.08.2011 तक)
9.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (04.06.2012 से 11.07.2014 तक) सदस्य (18.04.2007 से 17.04.2012 तक)
10.	श्री टी. नन्दकुमार	सदस्य (08.10.2010 से 28.02.2014 तक)
11.	श्री वी.के. दुग्गल	सदस्य (22.06.2012 से 23.12.2013 तक)
12.	मेजर जनरल जे. के. बंसल	सदस्य (06.10.2010 से 11.07.2014 तक)
13.	डॉ. मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10.12.2010 से 03.01.2015 तक)
14.	डॉ. हर्ष के. गुप्ता	सदस्य (23.12.2011 से 11.07.2014 तक)
15.	डॉ. के. सलीम अली	सदस्य (03.03.2014 से 19.06.2014 तक)
16.	श्री के.एन. श्रीवास्तव	सदस्य (03.03.2014 से 11.07.2014 तक)

अनुबंध–II

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1.	श्री आर.के. जैन, सचिव (04.10.2014 से 22.02.2015 तक), सदस्य सचिव (23.02.2015 से 30.11.2015 तक), सदस्य (01.12.2015 से)
2.	श्रीमती आस्था सक्सेना खतवानी, वित्तीय सलाहकार (01.01.2015 से)
3.	श्री बी. प्रधान, संयुक्त सचिव (07.08.2015 से)
4.	डॉ. वी. तिरुपुगाज, संयुक्त सचिव एवं सलाहकार (07.09.2015 से 02.07.2016 और 03.01.2017 से)
5.	श्री अनिल कुमार संगी, संयुक्त सचिव एवं सलाहकार (03.12.2013 से)
6.	मेजर जनरल अनुराग गुप्ता, सलाहकार (प्रचालन एवं संचार) (19.01.2015 से 30.09.2016 तक)
7.	सुश्री श्रेयसी चौधरी, निदेशक (08.12.2015 से)
8.	श्री विनय काजला, संयुक्त सलाहकार (31.08.2012 से 10.11.2016 तक)
9.	श्री एस.के. सिंह, निदेशक (23.07.2012 से 31.03.2017 तक)
10.	श्री धीरेन्द्र सिंह सिन्धु, संयुक्त सलाहकार (26.06.2013 से)
11.	कर्नल नदीम अरशद, संयुक्त सलाहकार (20.08.2013 से 01.06.2016 तक)
12.	कर्नल रणबीर सिंह, संयुक्त सलाहकार (11.08.2014 से)
13.	श्री एस.एन. सिंह, संयुक्त सलाहकार (23.01.2015 से 02.01.2017 तक)
14.	श्री भूपिन्दर सिंह, उप सचिव (25.02.2013 से)
15.	श्री योगेश्वर लाल, उप सचिव (07.07.2014 से 30.06.2016 तक) निदेशक (01.07.2016 से)

16.	ले. कर्नल विक्रांत लखनपाल, संयुक्त सलाहकार (20.06.2016 से 05.08.2016 तक)
17.	श्री अनुराग राणा, संयुक्त सलाहकार (19.10.2016 से)
18	श्री पुष्कर सहाय, संयुक्त सलाहकार (08.02.2017 से)
19.	श्री जे.सी. बाबू, सहायक सलाहकार (03.10.2008 से 22.09.2016)
20.	श्री पार्था कंसबनिक, अवर सचिव (18.08.2011 से)
21.	श्री अमल सरकार, अवर सचिव (14.11.2012 से)
22.	श्री तुरम बारी, अवर सचिव (01.01.2013 से)
23.	श्री एम.ए. प्रभाकरन, सहायक वित्तीय सलाहकार (15.09.2014 से)
24.	श्री सुनील सिंह रावत, अवर सचिव (30.03.2015 से)
25.	श्री पंकज कुमार, अवर सचिव (06.04.2015 से)
26.	श्री रमेश कुमार मिश्रा, अवर सचिव (28.03.2014 से)
27.	श्री राजेन्द्र कुमार बंधु, अवर सचिव (19.02.2016 से)
28.	श्री मोहन लाल शर्मा, अवर सचिव (16.09.2016 से)
29.	सुश्री आम्रपाली पन्थी, सहायक सलाहकार (03.06.2013 से)
30.	श्री नवीन कुमार, सहायक सलाहकार (22.07.2016 से)
31.	श्री कमल किशोर राव, सहायक सलाहकार (29.09.2016 से)
32.	श्री दीपक अहलावत, ड्यूटी अधिकारी (30.01.2017 से)
33.	श्री सुशील कुमार, ड्यूटी अधिकारी (13.01.2017 से)
34.	डॉ. पवन कुमार सिंह, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (23.05.2008 से)
35.	डॉ. एस.के. जेना, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (01.08.2008 से)
36.	श्री नवल प्रकाश, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (22.05.2009 से)
37.	डॉ. मोनिका गुप्ता, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (24.07.2013 से)